असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

28 मार्च, 2022

सप्तदश विधान सभा — सोमवार, तिथि 28 मार्च, 2022 ई॰
पंचम सत्र — 07 चैत्र, 1944 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होंगे । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट महोदय कल सुशासन बाबू की सरकार और कल तथाकथित कुछ लोग जो सुरक्षा घेरा तोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस तरह से हमला हुआ है, हमलोग तो कह रहे हैं कि यह सरकार फेल है...

अध्यक्ष : राजनीति नहीं करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कोई भी घटना इस तरह की बहुत ही दुखद है । संवेदनशीलता के साथ इस पर गंभीरता से विचार...

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : महोदय, डी0जी0पी0 पर कार्रवाई....

अध्यक्ष : सरकार उसको गंभीरता से ले रही है, सरकार सजगता से ।

(व्यवधान)

माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये सब लोग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक युवक ने, जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से वह विक्षिप्त है और कई घटनाएं उसके साथ हो चुकी हैं, फिर भी यह घटना जो हुई है यह दुखद है । सरकार सभी पहलुओं पर गौर कर रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब हो गया ।

(व्यवधान)

अब यह विषय नहीं । माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-113 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र सं0-203, रामगढ़)

अध्यक्ष : अनुपस्थित हैं ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये । माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये सभी सदस्य ।

(व्यवधान)

अब बैठ जाइये । महबूब जी आज आपके लिये कितनी बेहतर व्यवस्था बनाये हैं उप मुख्यमंत्री जी ।

(व्यवधान)

एक मिनट, आज उप मुख्यमंत्री जी सभी माननीय सदस्यों के लिये व्यवस्था बनाये हैं जानकारी है न ?

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आसन से जानकारी दे दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपको क्या हो गया है ? एक मिनट ।

(व्यवधान)

एक मिनट, एक मिनट ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष जी, एक-एक टिकट मिला है, हमलोग कैसे जायेंगे फिल्म देखने...

अध्यक्ष : क्या हुआ ?

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : कम से कम दो टिकट महिलाओं को मिलना चाहिये तभी तो जायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सदस्या डबल टिकट की अधिकारी हैं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, अपने जितनी भी माननीया महिला विधायक हैं उन्हें एक अतिरिक्त टिकट आज ही उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्या को दो टिकट उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

देखिये, महिलाएं हमारी जननी हैं और इनका सम्मान हमलोगों का कर्तव्य है ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान)

अच्छा एक मिनट । क्या है आपका ?

(व्यवधान)

बैठ जाइये । नहीं, यह क्या कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

बैठिये सत्येन्द्र जी ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसी सदन में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं । आप क्यों खड़े हो जाते हैं, इधर से आपके खड़े होने का बराबर, क्या है यह ?

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसी सदन में...

श्री महबूब आलम : महोदय, यह नफरत फैलाने वाली फिल्म है...

अध्यक्ष : अच्छा बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसको प्रतिबंध करवाना चाहिये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह नफरत फैलाने वाली फिल्म है ।

अध्यक्ष : बिना फिल्म देखे कैसे कह सकते हैं ? मन के अंदर के भाव बदलिये ।

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, इसी सदन में..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

अब बोलिये जल्दी से ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, प्रोटोकॉल उल्लंघन का समिति...

(इस अवसर पर सी0पी0आई0(एम0एल0), सी0पी0आई0(एम0), सी0पी0आई0 के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये ।)

अध्यक्ष : नहीं, ये उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

आप बोलिये ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, प्रोटोकॉल समिति बनाने का...

अध्यक्ष : बाद में बोलियेगा, बैठ जाइये । श्री अजीत शर्मा जी अपने प्रश्न को पढ़ें ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-'अ'-114 (श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि निर्भया फंड पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है । निर्भया फंड के अंतर्गत कुल 26.0784 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है, जिसमें से बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 6.9129 करोड़ रुपया का व्यय किया जा चुका है । निर्भया फंड की राशि से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित साईबर अपराध की रोकथाम/मानव तस्करी/महिला हेल्प डेस्क तथा आपातकालीन अनुक्रिया प्रतिक्रिया (ई0आर0एस0एस0) से संबंधित परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है ।

निर्भया फंड के अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित साईबर अपराध की रोकथाम हेतु भारत सरकार से प्राप्त 3.193 करोड़ की राशि में से 2.5893 करोड़ का व्यय किया गया है । मानव तस्करी की रोकथाम से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त 4.86 करोड़ की राशि का बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राप्त कर लिया गया है । आगामी माह में उक्त राशि को आवंटित करने की कार्रवाई की जाएगी । महिला हेल्प डेस्क कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार से 5.00

करोड़ की राशि प्राप्त हुई है । उक्त राशि को बिहार राज्य के 500 पुलिस थाना में 1.00 लाख प्रति थाना की दर से व्यय करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है । इसी प्रकार ई0आर0एस0एस0 कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से 13.0254 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है । उक्त राशि में से मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए 4.3236 करोड़ का अग्रिम भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जा चुका है एवं एजेंसी द्वारा सामग्री की आपूर्ति कर दी गई है । इस परियोजना से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य पटना शहर के राजवंशी नगर इलाके में बिहार पुलिस रेडियो के परिसर में पूरा कर लिया गया है । इस प्रकार भारत सरकार से निर्भया फंड के अंतर्गत विमुक्त राशि को नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अजीत शर्मा : माननीय मंत्री जी ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है, अपने स्थान को ग्रहण करिये, प्रश्न पूछ रहे हैं ।

(व्यवधान)

बोलिये प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु व्यय किया जा रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि निर्भया फंड के लिये, चरणबद्ध खर्च के लिये भारत सरकार की क्या गाइडलाइन निर्धारित है, पहला पूरक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट रूप से पूरा जिक्र है कि उसका गाइडलाइन क्या है, उसके अनुसार ही खर्च किये गये हैं ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बहुत गंभीर प्रश्न है, जाकर के अपने स्थान को ग्रहण करें और गंभीरता से लें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आपको गृह विभाग के प्रश्न पर गंभीरता के साथ सुनना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्मा : माननीय मंत्री जी ने जवाब में नहीं दिया है कि क्या चरणबद्ध भारत सरकार का गाइडलाइन निर्धारित है, हालांकि वह कह रहे हैं । दूसरा पूरक है सर, माननीय मंत्री जी ने निर्भया फंड की विभिन्न राशियों का जिक्र किया है तो निर्भया फंड में राशि कब-कब प्राप्त हुई यह नहीं दिया ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : महिलाओं के निर्भया से संबंधित गृह विभाग का मामला है, आप जाकर गंभीरता से लीजिये ।

(व्यवधान)

आप हल्का मत करिये प्रश्नोत्तर काल को । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कुल का डिटेल फेजवाइज कितना पैसा कब मिला, कब किसको कितना दिया गया और क्या खर्च है डिटेल में है ।

श्री अजीत शर्मा : नहीं है, सर । अध्यक्ष महोदय, डिटेल्स नहीं है । कब-कब प्राप्त हुई है यह नहीं बताये हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि डिटेल सब दिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

उत्तर में माननीय मंत्री जी सारा डिटेल दिये हैं ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, कब-कब प्राप्त हुई है, नहीं दिये हैं लेकिन तीसरा पूरक पूछ लेता हूं जब जवाब देंगे...

अध्यक्ष : जवाब में दिया हुआ है 4.3236 करोड़ का अग्रिम भुगतान संबंधित एजेंसी को किया जा चुका है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, कब-कब प्राप्त हुई है मैं यह पूछ रहा हूं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कब-कब प्राप्त हुई है ?

श्री अजीत शर्मा : कब-कब, किस-किस डेट में प्राप्त हुई है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, डेट वाइज प्रश्न में नहीं है ।

अध्यक्ष : जानकारी दे दीजियेगा । जानकारी दे देंगे ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, तीसरा पूरक है...

अध्यक्ष : हो गया तीन पूरक, हो गया है, नहीं ।

श्री अजीत शर्मा : नहीं सर, दो पूरक हुआ है ।

अध्यक्ष : अच्छा बोलिये ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में जिक्र किया है ई0आर0एस0एस0 का, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह ई0आर0एस0एस0 क्या है और इसके लिये प्राप्त राशि 13 करोड़ में से 4 करोड़ 32 लाख जो एजेंसी को दिये गये वह किस मद के लिये और कब दिये गये तथा एजेंसी द्वारा कौन-सी सामग्री के लिये ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, हम इनको दे देंगे पूरा डिटेल ।

अध्यक्ष : पूरा डिटेल दे देंगे, हो गया ।

श्री अजीत शर्मा : सर, स्थगित कीजिये ।

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार यादव । इतना सकारात्मक जवाब दिये हैं और कहे हैं कि डिटेल भी दे देंगे तो स्थगित का कहां जगह है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-115 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): 1- स्वीकारात्मक ।

2- अस्वीकारात्मक ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि सेवानिवृति के आधार पर बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के द्वारा गठित केन्द्रीय स्थापना समिति द्वारा वर्ष 2021 में बैठक आहूत कर दो वर्ष से कम सेवा अवधि वाले कुल 392 पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण उनके गृह जिला/स्वैच्छिक जिलों में किया गया है ।

अध्यक्ष : श्री समीर कुमार महासेठ प्राधिकृत हैं । पूरक पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : माननीय मंत्री जी सन् 2021 में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : बैठक का जिक्र किये हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मतलब कोई आपको बढ़िया काम के लिये आमंत्रित किया इस तरह से । जाइये बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : तो मैं जानना चाहता हूं कि 2021 में कब बैठक हुई थी और उस पर कुल कितने आवदेन पत्रों पर विचार किया गया ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : नफरत स्वप्न नहीं रहनी चाहिये । बिना फिल्म देखे नफरत की बात करना यह कहीं न कहीं हमारी सोच को प्रभावित करता है, ऐसा उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

हां पूछिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, हमने पूरक पूछा, मंत्री जी नहीं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उंगली दिखाकर नहीं, गलती मत करिये ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, यह प्रश्न मुकेश कुमार यादव जी का है हमने प्रश्न पूछा लेकिन माननीय मंत्री जी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग । पूरक आपने क्या पूछा है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, पूरक हमने पूछा कि 2021 में बैठक का जिक्र किया गया तो मैं जानना चाहता हूं कि 2021 में कब बैठक हुई थी और उसमें कुल कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया । दूसरा पूरक है, जब 392 लिया गया लेकिन आवेदन कितने आये थे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, अंत में डिटेल लिखा हुआ है । बैठक 2021 में की गई और 392 को दिया गया । प्रश्न में यह नहीं है कि कितने आवदेन आये इसलिये यह उत्तर नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, जब स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 2021 में बैठक हुई तो किस महीने में बैठक हुई, यह तो बता दें ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, महीने का जिक्र प्रश्न में नहीं है...

श्री समीर कुमार महासेठ : तो कितने आवदेन आये थे, कितने लंबित हैं अभी यह तो बताने का कष्ट करें, जब प्रश्न है ही । स्पष्ट प्रश्न है कि...

टर्न-2/राहुल/28.03.2022

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह प्रश्न में निहित नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न अलग से आप कर लीजिये । श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये, अब बैठ जाइये । देखिये बिना विषय के सदन को...

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-116 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21, ढाका)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है । षष्ठम राज्य वित्त आयोग द्वारा दिनांक-30.04.2021 को अंतिम एवं पूर्ण प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया । राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 5164, दिनांक-13.08.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू किया गया...

(व्यवधान)

उक्त संकल्प के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 3261.22 करोड़ रू0 तथा शहरी स्थानीय निकायों को...

(व्यवधान)

1756.04 करोड़ रू0 अनुदान के रूप में विमुक्त किया गया है ।

अध्यक्ष : अपने स्थान पर जायें । कोई भी विषय अपने स्थान पर जाकर बोलेंगे तभी सुनेंगे । बार-बार वेल में उछलकर के आ जाना, यह अच्छी चीज नहीं है । आप अपने स्थान पर जाइये, मौका देंगे, जाइये । जाइये अपने स्थान पर । स्थान पर जाइयेगा तब न । जाइये स्थान पर ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : 3- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि (i) वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू थीं ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

(ii) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-5164, दिनांक-13.08.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के लिए षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू की गई हैं । वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार द्वारा इसी संकल्प के माध्यम से पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप ही राशि का हस्तांतरण एवं क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया ।

(iii) सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 1184.50 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की गई है । पंचायती राज संस्थाओं के लिए राशि की विमुक्ति सरकार के स्तर पर विचाराधीन है ।

4- उत्तर खंड-3 में सन्निहित है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि षष्ठम वित्त आयोग के तहत राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या शहरी निकायों में वर्ष 2020-21 से ही राशि दी जानी थी । माननीय मंत्री जी को धन्यवाद है कि शहरी निकाय की राशि का तो आपने जिक्र कर दिया है कि वर्ष 2020-21 की 1756.04 करोड़ रू0 की राशि जा रही है लेकिन जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की वर्ष 2020-21 की राशि नहीं जा पाई है वह राशि कब तक भेजी जायेगी ?

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में यह राशि निश्चित तौर पर पंचायती राज निकाय को चली जाएगी ।

अध्यक्ष : चलिये, डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-117 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र संख्या-122, सोनपुर)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । सोनपुर से जिला मुख्यालय छपरा के बीच की दूरी 60 कि0मी0 है ।

2- अस्वीकारात्मक है । सोनपुर जिला मुख्यालय, छपरा के बीच रेलवे एवं सड़क मार्ग से आवागमन उपलब्ध है ।

3- सोनपुर अनुमंडल के अंतर्गत 3 प्रखंड (सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर) एवं 07 थाना- सोनपुर, नयागांव, दिघवारा, अकिलपुर, अवतारनगर, दरियापुर, डेरनी एवं 02 ओ0पी0 हरिहरनाथ ओ0पी0, पहलेजा घाट ओ0पी0 है ।

4- वस्तुस्थिति यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-223, दिनांक-12.02.2021 द्वारा राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन हेतु ''मंत्रियों का समूह'' उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित है एवं पुनर्गठन के संबंध में लम्बित प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे मंत्रियों के समूह के समक्ष रखने हेतु ''सचिवों की समिति'' की बैठक दिनांक-08.02.2017 में लिये गये निर्णयानुसार जिला पदाधिकारी तथा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से प्राप्त औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलेख के माध्यम से सचिवों की समिति के समक्ष विचारार्थ उपस्थापित किया जाना है । वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या-4/क्षे0स्था0 (जनगणना)-01/2018-41(4), दिनांक-02.02.2022 द्वारा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-30.06.2022 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का आदेश संसूचित है । इस प्रकार सोनपुर को जिला बनाने अथवा वैशाली-हाजीपुर या पटना जिला में मिलाने का प्रस्ताव नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के द्वारा जो...

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जी, उत्तर जो दिया गया है उसमें...

अध्यक्ष : देखिये जितना संक्षिप्त पूरक पूछियेगा, जवाब भी आपको उतना ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछता हूं । उसमें कहना है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह 60 किलोमीटर है, हम कहते हैं कि इसकी जांच करा ली जाय 75 किलोमीटर है । दूसरी बात यह है कि जो हमारे लोगों का, सरकार जवाब दी है कि रेल सुविधा, रोड सुविधा है तो परसों ही मैं रोड के लिए लड़ा था और रोड के लिए हमारे यहां नहीं है जो मंत्री जी ने कहा कि वित्त पोषित किया जा रहा है, वित्तीय सहायता से रोड बनेगा तो हमारे यहां, हमारे जिला मुख्यालय में जाने का लोगों को रास्ता नहीं है । मैं सरकार से पूरक जानना चाहता हूं कि सरकार अगर घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की बाढ अनुमंडल को जिला बनाने के लिए और उसी घोषणा में सन्निहित है कि अन्य जिले, अनुमंडल और प्रखंड के निर्माण पर विचार किया जायेगा...

अध्यक्ष : डॉ0 रामानुज बाबू, आपका प्रश्न साफ है कि सोनपुर को जिला बनाने अथवा वैशाली-हाजीपुर या पटना जिले में मिलाने का विचार रखती है या नहीं । सरकार ने साफ

शब्दों में जवाब दे दिया है कि प्रस्ताव नहीं है अब इसके बाद दूसरे सदस्यों का प्रश्न आने दीजिये ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने यह जवाब दे दिया है तो अब हम लोग पूरक नहीं पूछें ? पूरक हमारा है...

अध्यक्ष : अब उस पर पूरक पूछिये क्या कहना है ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : उसी पर मैं कह रहा हूं कि सरकार...

अध्यक्ष : इतनी लंबी अगर भूमिका लीजियेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार के जवाब में है कि सरकार एक जगह कहती है कि वर्तमान में राजस्व एवं भूमि सुधार की अधिसूचना संख्या इतना में रोक लगी है...

अध्यक्ष : अब सुन लीजिये । श्री नीतीश मिश्रा । अगर लंबा पूरक पूछेंगे, आगे बढ़ेगा सदन । श्री नीतीश मिश्रा, पूरक पूछिये ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–118 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र संख्या–38, झंझारपुर)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1– उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष–2006 में सर्वश्री इण्डियन गैसोहॉल लि0 द्वारा गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने की 4 बिलियन डॉलर की परियोजना के लिए प्रस्ताव बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था । उस समय Sugarcane Control Order-1966 में इथेनॉल बनाने का कोई प्रावधान नहीं था । इसलिए इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव करने हेतु Bihar Sugarcane (Regulation of Supply &Purchase) amendment Bill-2007 को बिहार विधान मंडल द्वारा पारित कर महामहिम राष्ट्रपति के सहमति हेतु भेजा गया था, परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा Sugarcane Control Order-1966 में 28 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना के द्वारा बदलाव कर दिया गया जिसमें सिर्फ चीनी मिलों को गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गई थी । इस अधिसूचना से बिहार में अलग से गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने वाले निवेशक हतोत्साहित हो गये ।

केन्द्र सरकार द्वारा Sugarcane Control Order-1966 में किये गये उपर्युक्त संशोधन पर पुनर्विचार हेतु तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार द्वारा 20 फरवरी, 2008 के पत्र के माध्यम से तत्कालीन माननीय केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया गया था । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा भी 08 जून, 2008 को माननीय केन्द्रीय मंत्री कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार

श्री शरद पवार जी को पत्र लिखकर वर्ष 2007 के Sugarcane Control Order-1966 में किये गये बदलाव पर पुनर्विचार करने तथा गन्ने के रस से इथेनॉल बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था । तत्कालीन माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री शरद पवार ने 9 जून, 2008 के पत्र के माध्यम से गन्ने को खाद्य फसल मानते हुए तथा खाद्य सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना किया । इसके कारण बिहार राज्य गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने हेतु बड़े निवेश से वंचित हो गया । माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा माननीय केन्द्रीय मंत्री, विधि, श्री वीरप्पा मोइली से भी 27 दिसंबर, 2010 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन विधेयक Bihar Sugarcane (Regulation of Supply & Purchase) amendment Bill-2007 पर सहमति देने का अनुरोध किया था, परन्तु केन्द्र सरकार से इस पर भी कोई सहयोग नहीं मिल सका और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा बिल विधान मंडल के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा दिया गया । तत्कालीन केन्द्र सरकार के नकारात्मक रुख के कारण के बिहार को इथेनॉल हब बनाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-4149, दिनांक-19.11.2019 द्वारा Sugarcane Control Order-1966 में संशोधन करते हुए गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप अथवा शीरे से सीधे इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी गयी है । यदि किसी निवेशक द्वारा बिहार में इथेनॉल एवं चीनी उत्पादन से संबंधित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर...

अध्यक्ष : उत्तर आपका मुद्रित है, पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि वर्ष 2007...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा नियम नहीं है कि तीन पूरक पूछने ही दिये जाएंगे । आसन अपने हिसाब से चलेगा, आसन किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, आसन अपने हिसाब से चलेगा...

(व्यवधान)

नियम से ही चल रहा है । बैठ जाइये आप, बैठ जाइये ।

श्री नीतीश मिश्रा : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2007 में उस समय की केन्द्र सरकार के बिहार के प्रति उदासीन रवैये के कारण 20 हजार करोड़ के निवेश से बिहार वंचित रहा जिसमें लगभग 22 हजार युवाओं को रोजगार मिल सकता था, डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट और हजारों इन-डायरेक्ट एंप्लॉयमेंट और किसानों का भला होता ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार के युवाओं से संबंधित है । बाद में बिहार सरकार ने जब इथेनॉल की चर्चा नहीं होती थी देश में, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप वर्ष 2006 में ही इथेनॉल की कल्पना की थी लेकिन केन्द्र सरकार ने सहयोग नहीं किया इसलिए हम वंचित हो गए । वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार ने Sugarcane Control Order में संशोधन किया जिससे अब हम सीधे इथेनॉल बना सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सिम्पल है वर्ष 2006 में गन्ना उद्योग के द्वारा गन्ना उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार प्रोत्साहन नीति बनाई गई जिसका परिणाम हुआ कि बिहार में इथेनॉल का उत्पादन भी शुरू हुआ, बिजली आपूर्ति भी प्रारम्भ हुई और कार्यरत्त चीनी मिलों ने अपनी क्षमती भी बढ़ाई । उसके बाद वर्ष 2014 में इन्होंने प्रोत्साहन नीति में संशोधन किया...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में इन्होंने किया, 8 वर्ष हो गए हैं । मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि कोई भी ऐसे निवेश के प्रस्ताव आएंगे सरकार सहयोग करेगी, मेरा यह कहना है कि वर्ष-वर्ष में जब नई पॉलिसी आती है तो 8 वर्ष पुरानी इनकी पॉलिसी से आज कोई भी निवेशक कैसे आकर्षित होकर आएगा । क्या सरकार जो वर्ष 2006 की गन्ना प्रोत्साहन नीति थी जिसको वर्ष 2014 में संशोधित किया गया । पुनः अभी के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में सरकार नई गन्ना प्रोत्साहन नीति लाना चाहती है अथवा नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जो प्रश्न किया है विस्तार से उसका जवाब दिये हैं...

अध्यक्ष : पूरक का जवाब संक्षिप्त में दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : बता रहे हैं महोदय । वर्ष 2006 और 2014 में जो प्रोत्साहन नीति बनी उसके बाद इथेनॉल जो नीति है अभी वर्तमान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार, आग्रहानुसार सरकार ने इथेनॉल के लिए जो ये नई व्यवस्था बनाई है इसके तहत लगभग पूरे राज्य में बहुत भारी संख्या में इथेनॉल उत्पादक आ रहे हैं जो अभी ग्रेन

से बनाने वाले आए हैं और निश्चित तौर पर कि अगर निवेशक आएंगे और अपने सुझाव देंगे पुनः सरकार विचार करेगी...

अध्यक्ष : ठीक है । श्री अजीत शर्मा ।

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा पूरक है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : सहयोग करेंगे । एक मिनट ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण विषय है बिहार के निवेश से संबंधित है । हमारे यहां तीन पॉलिसी हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, पिछले साल इथेनॉल पॉलिसी बनाई गई और पूर्व से Sugarcane Incentive पॉलिसी है । जो इथेनॉल पॉलिसी है वह सिर्फ इथेनॉल की इकाइयों को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मिलेगा, चीनी मिलों को नहीं मिलेगा । मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि जो आपकी Adjusting Policy थी जिसमें कोई भी उद्यमी चीनी मिल लगाता है, इथेनॉल बनाता है, वर्ष 2014 की नीति थी मैं उसमें संशोधन की बात कर रहा हूं । इथेनॉल पॉलिसी से चीनी मिल को लाभ नहीं होना है...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, शॉर्ट में ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि जो हम लोग इथेनॉल का भी, गन्ना के साथ जो इथेनॉल बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, चीनी बनाएंगे ये तीनों को हम लोग प्रोत्साहन नीति में सम्मिलित किए हैं और माननीय सदस्य का जो सुझाव है और नई इथेनॉल नीति जो उद्योग विभाग के माध्यम से एक नई इथेनॉल नीति बनी है जो ग्रेन से बन रहा है और केन ज्यूस बनाने के बाद अगर...

क्रमशः

टर्न-3/मुकुल/28.03.2022

...क्रमशः...

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अगर कोई निवेशक ग्रेन से भी इथेनॉल बनाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार एक नई इथेनॉल नीति गन्ना के बाद ग्रेन से बनायेगी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जी, महोदय । अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया । मंत्री जी कह दिये कि सहयोग प्रदान करेंगे, पॉजिटिव हो गया ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, जिसने उस समय पैसा लगाया है, गलत नीति द्वारा बिहार सरकार बिना जाने हुए कि भारत सरकार...

अध्यक्ष : अब समय समाप्त हो रहा है । माननीय सदस्य, यह अंतिम पूरक है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उस समय उसके पैसे जो लगे क्या उसको सरकार लौटाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य की चिंता को देख लीजिएगा । माननीय सदस्य, मंत्री जी आपकी चिंता को देखेंगे । माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा जी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-119(श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156, भागलपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापांक-36012/22/93, दिनांक-08.09.1993 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-246, दिनांक-09.06.2004 द्वारा ओ0बी0सी0 के आरक्षण के दायरे में सामाजिक रूप से उन्नत एवं सम्पन्न वर्गों को बाहर रखने के लिए आय के मानदण्डों को परिचालित किया गया है । इस परिपत्र में निहित शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नहीं है ।

2. प्रश्न की कंडिका-1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर दिया है और मेरा छोटा सा पूरक प्रश्न है कि क्या सरकार वर्ष 1993 में जारी किये गये परिपत्र को पुनः जारी कर सभी शर्तों का अनुपालन करने के उपरांत ही नन-क्रीमीलेयर का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट है कि किसी तरह की शिकायत आई नहीं है, कोई शिकायत आयेगी तो उसको दिखवा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि नन-क्रीमीलेयर का सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को सरकार देना चाहती है या नहीं ? माननीय मंत्री जी, इसका तो जवाब दें । अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, अल्पसूचित भी शत-प्रतिशत जवाब आया है । माननीय सदस्य, श्री बागी कुमार वर्मा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3239 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र संख्या-215, कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-3240 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र संख्या-169, शेखपुरा)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000, दिनांक-10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों का संविदा नियोजन इस शर्त के साथ किया जाता है कि जिस पद की रिक्ति के विरुद्ध उनका संविदा नियोजन किया गया है उस पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के फलस्वरूप योग्य कर्मी के उपलब्ध होते ही उनका संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

3. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है, किन्तु राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-4880/2017 राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा सम्बद्ध मामले को सम्प्रति निष्पादित नहीं किया गया है ।

4. उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि शिक्षित नवयुवक बेरोजगार परेशान एवं भूखे मरे । बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील बनिए । याद रखिए बिहार एक वेलफेयर स्टेट है सरकार चाहे तो सेवानिवृत्त कर्मचारी को संविदा पर न रखकर नियमित नियुक्ति कर बेरोजगार नवयुवक को सरकारी नौकरी के माध्यम से रोजगार दे सकती है जिससे उसके

पूरे परिवार का भरण-पोषण होगा और राज्य में बेरोजगारी भी दूर होगी । महोदय, मेरा सुझाव भी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सुझाव दिया है और मंत्री जी आपके सुझाव को ग्रहण किये । माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव ।

श्री विजय कुमार : महोदय, नहीं । सरकार चाहे तो अगले दो वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले पदों को चयनित कर दो वर्ष पूर्व ही नियुक्ति एजेंसी यथा, बी0पी0एस0सी0, एस0एस0सी0, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इत्यादि को वैकेंसी भेज सकती है ताकि नियुक्ति एजेंसी ससमय विज्ञापन निकालते हुए पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर खाली पदों के विरुद्ध अभ्यर्थी का चयन कर सके, कब तक करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट होता है, स्थायी नियुक्ति जब हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वह खत्म हो जाता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोलिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार संविदा पर प्रोन्नति के पद पर नियुक्त सभी पदाधिकारियों को सेवामुक्त करने का विचार रखती है और रखती है तो कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, संविदा पर नियुक्ति टेम्पोरेरी होती है, जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती है, कमीशन में थोड़ा समय लगता है तो स्थायी प्रमोशन का कोई प्रश्न संविदा पर है नहीं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, श्री छत्रपति यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-3241 (श्री छत्रपति यादव, क्षेत्र संख्या-149, खगड़िया)</u>

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि मात्र पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर चौकीदार संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति करने का प्रावधान नहीं है ।

विभागीय अधिसूचना संख्या-9339, दिनांक-25.08.2006 में किये गये प्रावधान के आलोक में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति, अर्हता प्राप्त योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा करती है, जिसके आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति की जाती है ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, मो0 सकीम साह चौकीदार है, जो वर्षों-वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं । उनकी अभी तक नियुक्ति पर विचार नहीं किया गया है तो प्रश्न का जो उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि जिलाधिकारी स्तर पर होता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर मिला है न ?

श्री छत्रपति यादव : जी, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : तो आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इस मामले को जिला पदाधिकारी, खगड़िया को भेजकर चयन समिति में रखवाना चाहती है या नहीं और यदि रखवाना चाहती है तो कब तक ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है, लगता है कि माननीय सदस्य उत्तर को पढ़ते नहीं हैं । इनका प्रश्न है कि एस0पी0 ने अनुशंसा की, कलेक्टर की अध्यक्षता में वहां कमेटी है, जब वह कमेटी अनुशंसा करती है तब उस पर कार्रवाई होती है केवल एस0पी0 की अनुशंसा करने पर नहीं होती है । यह उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी, खगड़िया को यह प्रस्ताव को भेजा जा सकता है कि समिति में रखकर इसपर विचार किया जाय । चूंकि वे काफी समय से सेवा देते आये हैं और उनके परिवार की दयनीय स्थिति हो रही है । इसलिए हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जिलाधिकारी, खगड़िया को प्रस्ताव भेजकर इसको चयन समिति में रखवाने की कोशिश करें ।

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्री जी आपके अनुरोध को सुन लिये । माननीय सदस्य, श्री रामविलास कामत।

तारांकित प्रश्न संख्या–3242 (श्री रामविलास कामत, क्षेत्र संख्या–42, पिपरा)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. वस्तुस्थिति यह है कि प्रवासी मजदूर बनने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/युवा उद्यमी योजना एवं महिला उद्यमी योजना लागू की गयी है छात्र/छात्राओं एवं युवा/युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनो उद्यमी योजना के तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । परम्परागत तरीके से उद्यम करने वाले कारीगरों को आधुनिक तकनीक से उत्पाद को तैयार करने, पैकेजिंग करने में सामान्य सुविधा केन्द्र के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्यम कलस्टर विकास योजना क्रियान्वित की गई है । रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना भी लागू की गयी है ।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के अन्तर्गत सुपौल जिला में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुल 07 एवं मक्का आधारित 03 इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु स्टेज–1 क्लियरेंस (सैद्धांतिक सहमति) दिया गया है । जिसमें 03 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है ।

3. विदित हो कि राज्य सरकार के द्वारा स्वयं कोई इकाई की स्थापना नहीं की जाती है । निजी क्षेत्र के निवेशकों के द्वारा यदि कोई इकाई स्थापित की जाती है तो प्रभावी औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत अनुमान्य सहायता प्रदान की जाती है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अन्तर्गत मक्का आधारित फुड प्रोसेसिंग यूनिट को उच्च प्राथमिकता में रखा गया है और निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था भी की गई है । साथ ही समय–समय पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर नए उद्योगों को लगाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के खण्ड–2 में बताया गया है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 के अन्तर्गत सुपौल जिला में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र अन्तर्गत कुल 07 एवं मक्का आधारित 03 इथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु एटेज–1 क्लियरेंस दिया गया है । जिसमें 03 प्रस्तावों पर वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वे सुपौल से आते हैं और वहां के मजदूरों की स्थिति को बेहतर समझते हैं। मंत्री जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द कोई वहां पर उद्योग स्थापित करावें ।

अध्यक्ष : ठीक है । आपके आग्रह को मंत्री जी सुन लिये हैं । माननीय सदस्य, श्री फते बहादुर सिंह । मंत्री जी बैठ जाइये । माननीय सदस्य, आपसे आग्रह किये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3243 (श्री फते बहादुर सिंह, क्षेत्र संख्या-212, डिहरी)

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी नगर थाना कांड सं0-347/21, दिनांक-01.07.2021, धारा-365 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादिनी हसीना खातुन के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. गुल्ला 2. वीरू यादव 3.भोला राम 4. वेध प्रकाश उर्फ भोला पासवान 5. राजा पाण्डेय एवं 4-5 अज्ञात के विरूद्ध वादिनी के पुत्र मुकद्दर अंसारी को गायब कर देने के आरोप में दर्ज किया गया है। उक्त कांड प्राथमिकी की मूल धारा के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. गुल्ला 2. वीरू यादव 3. भोला राम 4. वेध प्रकाश उर्फ भोला पासवान एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 5. उमा दूबे उर्फ बाबा एवं 4-5 अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त राजा पाण्डेय के विरूद्ध दोषारोपण में असत्य पाया गया है ।

अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त 1. गुल्ला 2. वीरू यादव 3. भोला राम 4. वेध प्रकाश उर्फ भोला पासवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वर्तमान में कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त उमा दूबे उर्फ बाबा की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से लगातार छापामारी की जा रही है तथा अपहृत की बरामदगी हेतु प्रयास जारी है ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : श्री फते बहादुर सिंह, पूरक पूछिए ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक ही पूछने वाला था लेकिन जवाब ही गलत है ।

अध्यक्ष : आप फते बहादुर सिंह हैं ?

श्री फते बहादुर सिंह : जी, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : तो सबलोग आश्चर्य क्यों कर रहे हैं ?

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें जो प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं । हमने प्रश्न किया है कि मुकद्दर अंसारी, उम्र-26 वर्ष, 26 जून, 2021 के सुबह 6:00 बजे से लापता है और एफ0आई0आर0 हुआ है । पुलिस के अनुसंधान में भी सत्य पाया गया है और जो

अपराधी हैं, अपराधी की गिरफ्तारी भी हुई है, जो जवाब आया है । एक अपराधी दूबे जी हैं उनकी छापेमारी चल रही है । लेकिन मैंने सवाल यह किया है कि जो व्यक्ति गायब हुआ है, लापता हुआ है वह व्यक्ति अभी तक मिला नहीं है, वह व्यक्ति कहां है और कब तक मिलेगा ?

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आप देख लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि छापामारी की जा रही है तथा अपहृत की बरामदगी हेतु प्रयास जारी है । उत्तर में साफ लिखा हुआ है और अभी तक वह व्यक्ति नहीं मिला है, यह बात सही है ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जवाब देख लीजिए । उस जवाब में उस लापता व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है । महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो लापता व्यक्ति है उसे कब तक प्रशासन ढूंढकर लायेगी या नहीं लायेगी ? महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब ढूंढकर कब तक लायेगी, जब वह व्यक्ति मिलेगा तभी न, प्रयास तो जारी है । ढूंढकर कब तक लायेगी, यह कौन गारंटी देगा, पुलिस लगी हुई है, 4-5 की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनके खिलाफ एफ0आई0आर0 किया गया है । जो कार्रवाई में निहित है वही न किया जायेगा । अब वह व्यक्ति मर गया, गायब है, मिलेगा तो मिलेगा।

श्री अजीत शर्मा : इसका मतलब है कि सरकार अक्षम है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने पूरक प्रश्न पूछा है, इनका तीसरा और लास्ट पूरक प्रश्न है ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब में जो लिखा गया है कि छापामारी एक मुजरिम जो दूबे जी हैं उनकी चल रही है, लेकिन...

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से भी अनुरोध करूंगा कि अगर उनको कोई सूचना उपलब्ध है तो दें, इसपर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, गंभीर प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न की गंभीरता को समझिए । माननीय सदस्य, बोलिये ।

श्री फते बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति 9 महीने से घर से लापता है और प्रशासन ने स्वीकार किया है कि घटना सत्य है, अपराधी की भी गिरफ्तारी हो गई है, एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए छापामारी चल रही है लेकिन जो व्यक्ति लापता है मैं उनको लाने के लिए सवाल किया हूं, न कि किसी की गिरफ्तारी पर । मैं मंत्री महोदय से यह

जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 9 महीनों से अपने घर से लापता है वह लापता व्यक्ति कहां है और सरकार कब तक उसको ढूंढकर लाकर उसके घर वालों को वापस करेगी ?

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से और शर्मा जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया कोई टेक्निक बता दें, कोई नियम बता दें जिसका सरकार अनुसरण करेगी ।

(व्यवधान)

हंस क्यों रहे हैं, किस चीज के लिए हंस रहे हैं । महोदय, ये तो सरकार में रहे हैं। इस तरह की घटनाओं का समाधान एक-एक साल और दो-दो साल के बाद होता है ।

(व्यवधान जारी)

टर्न-4/यानपति/28.03.2022

अध्यक्षः माननीय सदस्य, नहीं, यह उचित नहीं है । अभी एक बार बैठ जाइये । फते बहादुर जी ।

श्री फते बहादुर सिंहः इसका सरकार को अभी जवाब देना चाहिए कि वह व्यक्ति जो 9 महीना से...

अध्यक्षः आपको मैं संरक्षित कर रहा हूं, आप सुनिये ।

श्री फते बहादुर सिंहः जी ।

अध्यक्षः मंत्री जी, गंभीरता से इसकी जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे । श्री भीम कुमार सिंह ।

(व्यवधान)

श्री फते बहादुर सिंहः महोदय, मैं...

अध्यक्षः आपका तीन पूरक हो चुका है ।

श्री फते बहादुर सिंहः महोदय, जवाब...

अध्यक्षः आप बैठ जाइये, आपका तीन पूरक हो गया ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्पष्ट पूछा है जो 9 महीना से व्यक्ति लापता है, सरकार उसका कब तक पता लगाएगी तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय सदस्य सहयोग करें, वो बता दें । सहयोग की टेक्निक बताएं । सरकार, मुख्यमंत्री जी पर हमला हो जाता है, एक व्यक्ति 9 महीने से लापता है उसको सरकार क्या उसको टेक्निकल इनका कोई सिस्टम नहीं है जो उसको पता कर ले कि...

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रशासन पूरी ताकत से लगी है आपके पास कोई जानकारी, सूचना है तो आप भी उपलब्ध करा दें ताकि उसपर त्वरित एक्शन लिया जा सके ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, 9 महीना काफी हो गया । 9 महीने में अभीतक अपहृत की बरामदगी नहीं हुई है, सरकार इसका मतलब गंभीर नहीं है ।

अध्यक्ष: श्री भीम कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3244, (श्री भीम कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-219, गोह)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री रत्नेश सादा ।

श्री ललित कुमार यादव: इनका फेल है महोदय, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है इसका मतलब ।

अध्यक्ष: एक चीज कहना चाहेंगे । अच्छे पदाधिकारी का भी मनोबल नहीं गिरे जो काम कर रहे हैं, अगर हम पूरे सिस्टम को कह दें कि पूरी विधायिका फेल है तो कितना खराब लगेगा। यह चीज नहीं होनी चाहिए । जो फेल है उसके बारे में पार्टिकुलर कहेंगे, फेल है लेकिन पूरे सिस्टम को नहीं समेटेंगे । श्री रत्नेश सादा ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3245 (श्री रत्नेश सादा, क्षेत्र संख्या-74, सोनवर्षा (अ0जा0)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के रघुनाथपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नं0-10 अन्तर्गत कोई कब्रिस्तान नहीं है ।

रघुनाथपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नं0-5 में कब्रिस्तान है जिसमें वार्ड नं0-7 एवं 10 के लोग शव दफनाते हैं । उक्त कब्रिस्तान प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

सरकारी भूमि पर अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है, माननीय मंत्री, आपके द्वारा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सोनवर्षा प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में वार्ड नंबर-10 में 2 एकड़ जमीन है जो कि घेराबंदी नहीं होने के कारण...

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आप इस तरह से नहीं, नहीं इस तरह से नहीं ।

श्री रत्नेश सादाः आपसी भाईचारा बिगड़ने का माहौल है और आवारा पशु घूमता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री रत्नेश सादाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी जाएगी ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

एक चीज बता देते हैं, यह परंपरा उचित नहीं है कि आप प्रश्न किए और प्रश्न के बाद जब सरकार का जवाब आए तो आप इस तरह से प्रेशर बनाइए, यह उचित नहीं है । आप पहले अपने स्थान पर जाइये । आप अपने स्थान पर जाइये, फते बहादुर जी । जाइये स्थान पर । अब सभी लोग बैठ जाइये, अब महबूब जी को बोलने दीजिए । सबलोग बैठिए । पहले सबलोग बैठिए । नहीं, सबलोग बैठिए । अब महबूब जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, गंभीर सदस्य हैं । बोलिए, एक ही लाइन में ।

श्री महबूब आलमः महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः सुनिये, यह उचित नहीं है, आसन से जिन्हें अनुमति मिलेगी वही बोलेंगे ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री फते बहादुर सिंह अपने स्थान पर चले गये)

श्री महबूब आलमः महोदय, यह गंभीर विषय है । सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है, एक-एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूछती है कि आपलोग बताइए, हमलोग पुलिस का काम करेंगे । महोदय, इस विषय पर गंभीर बहस हो। महोदय, सरकार नाकाम है, सरकार फेल है । कहीं मुख्यमंत्री जी पर हमले हो रहे हैं, कहीं हमारा...

अध्यक्षः अब नहीं, देखिए आपकी उंगली पर आपत्ति है ।

श्री महबूब आलमः महोदय, यह टालने की बात नहीं है । बहुत ही गंभीर मुद्दा है, विमर्श हो महोदय।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः नहीं-नहीं, इनकी मंशा उंगली दिखाने की नहीं है । आपकी मंशा उंगली दिखानी की नहीं है न ?

श्री महबूब आलमः महोदय, नहीं-नहीं । उंगली दिखाने की मंशा नहीं है ।

अध्यक्षः नहीं है, बैठ जाइये । एक चीज महबूब जी, आपने जो बोला, अब सुन लीजिए, बैठ जाइये । आप जो बोले, अभी जस्ट हमलोगों ने शनिवार को संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य की बात की, सरकार की जिम्मेवारी है, सुरक्षा...

(व्यवधान जारी)

हां, आपकी भाषा में कर्तव्य है ।

(व्यवधान जारी)

अब सुनिये तो, कर्तव्य है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करे लेकिन हम सभी विधायकों और नागरिकों की जिम्मेवारी है कि सरकार को सहयोग करें, करेंगे न ?

(व्यवधान जारी)

श्री रत्नेश सादा ।

(व्यवधान जारी)

श्री रत्नेश सादाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कब होगी ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः उसी के लिए उन्होंने कहा । अब आगे बढ़ने दीजिए, क्वेश्चन आपलोगों का ही है । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान जारी)

फिर से पूछ लीजिए ।

श्री रत्नेश सादाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रघुनाथपुर की कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक की जाएगी ?

अध्यक्षः कब तक होगी ?

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री जी, इधर जवाब दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलांतर्गत सोनवर्षा प्रखंड के...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: नहीं, यह विषय नहीं है, इस विषय पर सदन को करना मतलब अपने प्रश्नों को, शत-प्रतिशत प्रश्न आया है और प्रश्न बहुत मेहनत से आता है, सरकार की पूरी सजगता से प्रश्न का जवाब आता है ।

(व्यवधान जारी)

आपलोगों की इच्छा है कि सदन नहीं चले, तो सदन चले तो अपने स्थान पर जाइये । नहीं-नहीं, यह उचित नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

आप अगर सदन नहीं चलने देंगे तो सरकार जो जवाब देती है वह नहीं आएगा। फिर आप कुछ नहीं पूछ पाइयेगा । बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा लगता है, सरकार का जवाब, सदन चलाने में, आप जाइये स्थान पर । एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइये, जाइये अपने स्थान पर । नहीं, यह उचित नहीं है । श्री सुधाकर सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3246 (श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्र संख्या-203, रामगढ़)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री शाहनवाज ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3247 (श्री शाहनवाज, क्षेत्र संख्या-50, जोकीहाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री महा नंद सिंह । पूरक पूछिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3248 (श्री महा नंद सिंह, क्षेत्र संख्या-214, अरवल)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत नौबतपुर थाना कांड सं0- 687/15, दिनांक- 28.11.2015 में वादी एवं अभियुक्त पक्ष के बीच पूर्व से ही विवाद था । हत्या के पश्चात् उत्पन्न विधि-व्यवस्था की समस्या को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्राम-गोनवॉ में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी । स्थिति सामान्य होने के पश्चात् पुलिस बल को हटा दिया गया है । समय-समय पर थाना स्तर से गश्ती किया जाता है ।

श्री महा नंद सिंह: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः हां बोलिये माननीय सदस्य ।

श्री महा नंद सिंहः कहना है कि जो जवाब दिया गया है...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः पूरक पूछिए, पूरक ।

श्री महा नंद सिंहः वहां पुलिस बल नहीं होने के कारण दिक्कत है इसलिए पुलिस बल रखा जाना चाहिए ।

अध्यक्षः ठीक है, आपका डिमांड है । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान जारी)

ठीक है । श्री सूर्यकांत पासवान ।

तारांकित प्रश्न संख्या–3249 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र संख्या–147, बखरी (अ0जा0)

श्री सूर्यकान्त पासवानः महोदय पूछता हूं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर): अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक– 8778, दिनांक– 19.09.2016 के तहत राज्य अन्तर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो। प्रश्नगत हरिगिरी धाम मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित है, जिसका निबंधन सं0– 3815 है एवं जिला के प्राथमिकता के सूची क्रमांक 36 पर है ।

मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त पंजीकृत मंदिरों की जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित दो सदस्यीय समिति, जिसके एक अन्य सदस्य पुलिस अधीक्षक होते हैं, द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है ।

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थल चयन किये जाने के उपरान्त योजना की स्वीकृति दी जाती है तथा स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा मंदिर चहारदीवारी का निर्माण का कार्य कराया जाता है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कण्डिका (35) में भी मंदिर चहारदीवारी योजना को शामिल किया गया है ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल मंदिर की घेराबंदी करा सकते हैं ।

अध्यक्षः क्या है पूरक ?

श्री सूर्यकान्त पासवानः महोदय, हरिगिरी धाम मंदिर की घेराबंदी कबतक करवाएंगे ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, गृह विभाग, कबतक ?

(व्यवधान जारी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय, क्रमांक-36 पर है, यह सूची में 36 पर है, उत्तर को देख लें। 36 पर है, इसकी घेराबंदी की जाएगी ।

अध्यक्षः ठीक है, मो0 नेहालउद्दीन ।

(व्यवधान जारी)

बोल दिए कि किया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अब पांच लोग बोलियेगा, सुनेंगे नहीं । सब स्थान पर जाइये, आप बोलिये । एक मिनट, आप सभी अपने स्थान पर जाइये क्या बोलना चाहते हैं, जाइये वहां स्थान से बोलिये, जाकर माइक से बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

आपका प्रश्न हो गया । देखिए, विपक्ष के मुख्य सचेतक बोले हैं, कुछ कहना है तो मुख्य सचेतक से, सबलोग खड़े होइयेगा, कुछ नहीं सुनेंगे । सदन सबको मिलकर चलाना है न ।

(व्यवधान जारी)

एक मिनट रुक जाइये, विपक्ष के मुख्य सचेतक बोलेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, हम सरकार से स्पष्ट जानना चाहते हैं...

अध्यक्षः सबलोग बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गये)

श्री ललित कुमार यादवः जिनका अपहरण हुआ उसकी बरामदगी के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई है तो क्या सरकार 9 महीने बीतने के बावजूद भी, तो क्या सरकार उसपर स्पेशल टीम बैठाकर उसकी बरामदगी का कोई विचार रखती है या नहीं ?

टर्न-5/अंजली/28.03.2022

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि जो उत्तर सरकार का आया है उसको स्वयं माननीय सदस्य पढ़ें और इसके बाद हमसे सप्लीमेंट्री पूछें तो हम एक-एक का जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी पूरे सदन को उत्तर बताएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रश्न आगे बढ़ चुका है और सरकार गंभीरता से ले रही है, सरकार का जवाब भी गंभीरता से आया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट है, जिनलोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई, नाम दिया गया, उसमें से तीन-चार आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं । दो-तीन आदमी पर असत्य पाया गया, बाकी छापेमारी लगातार जारी है तब इसमें क्या गुंजाइश है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, गंभीरता से ले रहे हैं । माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3250 (श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन, क्षेत्र सं0-224, रफीगंज)</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (लिखित उत्तर) : यह बात सही है कि वर्तमान में औरंगाबाद जिला के मदनपुर प्रखंड के ग्राम मनीका में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा कार्यरत नहीं है । परंतु मनीका ग्राम से 2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीयकृत बैंक केनरा बैंक की नीमा आजन शाखा कार्यरत है ।

इसके अलावा मनीका बाजार में पंजाब नेशनल बैंक का तथा मनीका से लगभग 200 मीटर की दूरी पर भी पंजाब नेशनल बैंक की एक-एक ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत है ।

मनीका से लगभग 200 मीटर की दूरी पर महुआइन में बैंक ऑफ इंडिया की नयी शाखा खोलने हेतु परिसर में फर्नीचर का कार्य चल रहा है एवं शीघ्र ही बैंक ऑफ इंडिया की नई शाखा महुआइन में कार्य करने लगेगी ।

बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

(व्यवधान)

यह जिद करके प्रभावित करने का प्रयास है । सवाल सरकार जब गंभीरता से ले रही है ।

(व्यवधान)

आप ही का सिर्फ प्रश्न नहीं है इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का महत्व है । बोलिए नेहालउद्दीन जी ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं बैठ जाइए । आप पूछिये, नहीं पूछियेगा । आप पूरक पूछियेगा, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन जी । पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, सरकार का जवाब स्वीकारात्मक है । यानी हम जो चाहते हैं या वहां की जनता चाहती है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : पूरक ही पूछ रहे हैं कि वहां पर कोई नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है तो क्या सरकार वहां पर नेशनलाइज्ड बैंक खोलना चाहती है, सरकार का कहना है कि नहीं साहब नहीं खोलना चाहते हैं चूंकि बगल में दूसरी जगह नेशनलाइज्ड बैंक है तो वह दूसरी खुद पंचायत है । मनीका जो है वहां पर वह खुद एक पंचायत है तो वह दूसरी पंचायत में नेशनलाइज्ड बैंक होगा और हम जहां चाहते हैं वहां कहते हैं कि साहब वहां नहीं खुलेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है बैठ जाइए । माननीय मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जो बैंक की शाखा है वह राज्य सरकार नहीं खोलती है । यह बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं, आगामी वित्तीय वर्ष में एस0एल0बी0सी0 की जो बैठक होगी तो मैं इनकी भावनाओं को रखूंगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इनकी बात को रखूं जिससे कि कोई रास्ता निकले । बैंक के द्वारा जो सूचना मिलती है वही हम पढ़ते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, सकारात्मक जवाब है । माननीय सदस्य, श्री बच्चा पाण्डेय ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3251 (श्री बच्चा पाण्डेय, क्षेत्र सं0-110, बड़हरिया)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मुरारी प्रसाद गौतम ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-3252 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम, क्षेत्र सं0-207, चेनारी, अ0जा0)</u>

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चंद्रशेखर ।

तारांकित प्रश्न सं0-3253 (श्री चंद्रशेखर, क्षेत्र सं0-73, मधेपुरा)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री (लिखित उत्तर) : मधेपुरा जिला मुख्यालय में स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, सहरसा के अंतर्गत आता है जो कि एक गैर-सरकारी संस्था है तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार से पंजीकृत है । सरकार के पास उक्त खादी ग्रामोद्योग भवन के नवनिर्माण से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है ।

श्री चंद्रशेखर : महोदय, सरकार ने जवाब दिया है कि निजी संस्था है तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वदेशी के प्रतीक हैं, तो क्या कोसी क्षेत्र के महत्व को समझते हुए मधेपुरा में कोई सरकारी खादी ग्रामोद्योग भवन का निर्माण कराना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि मधेपुरा जिले में जो खादी ग्रामोद्योग संघ सहरसा के अंतर्गत आता है और यह गैर-सरकारी संस्था है और जो गैर-सरकारी संस्था है उसमें के0बी0आई0सी0 से उनको मदद मिलती है लेकिन वहां जो भवन नहीं है उसके लिए के0बी0आई0सी0 से बातचीत कर के उनको अनुदान दिलाकर भवन की पूरी कोशिश करेंगे ।

अध्यक्ष : देखिए, उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया, विपक्ष से भी प्रोत्साहन मिला, धन्यवाद दिया, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है । माननीय सदस्य, श्री बागी कुमार वर्मा ।

तारांकित प्रश्न सं0-3254 (श्री बागी कुमार वर्मा, क्षेत्र सं0-215, कुर्था)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता ।

तारांकित प्रश्न सं0-3255 (श्री निरंजन कुमार मेहता, क्षेत्र सं0-71, बिहारीगंज)

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है लेकिन नहीं देखे हैं । 12 बजे रात में क्षेत्र से आए हैं इसलिए आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, गृह विभाग । जवाब पढ़ दिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड में पुराने जूट प्रतिष्ठान एवं दुकान हैं ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज प्रखंड में वर्ष 2021 में कुल 18 एवं वर्ष 2022 के माह फरवरी तक कुल 02 अग्निकांड की घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं, जिसमें से जूट प्रतिष्ठान/दुकान में मात्र (01) अग्निकांड की घटना हुई है । मुरलीगंज प्रखंड में अग्निकांड की घटना होने पर मुरलीगंज प्रखंड मुख्यालय में प्रतिनियुक्त एक मिस्ट टेक्नोलॉजी छोटे अग्निशामक वाहन से अग्निशमन का कार्य किया जाता है । इसके अतिरिक्त बिहारीगंज थाना में प्रतिनियुक्त मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन से भी अग्शिमन का कार्य किया जाता है । मुरलीगंज प्रखंड से बिहारीगंज थाना की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है । विशेष परिस्थिति में अग्निशामालय मधेपुरा एवं उदाकिशनगंज से अग्निशमन का कार्य किया जाता है । मुरलीगंज प्रखंड से अग्निशामालय, मधेपुरा एवं उदाकिशनगंज की दूरी क्रमशः लगभग 24 किलोमीटर एवं 28 किलोमीटर है ।

3- उपर्युक्त कंडिकाओं-(1) एवं (2) में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

वस्तुस्थिति यह है कि Response Time घटाने के उद्देश्य से राज्य के कुल 439 थानों में मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त किए गए हैं ।

वर्तमान में प्रखंड स्तर पर अग्निशामक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एक आग्रह करना चाहेंगे, मुझे संरक्षण दिया जाय ।

अध्यक्ष : पूरा संरक्षण है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जितना भी पढ़े हैं, हम संतुष्ट हैं लेकिन है क्या बराबर अग्निकांड होता है यह भी माननीय मंत्री महोदय सदन को बता रहे हैं और हम आग्रह करेंगे कि छोटी दमकल जो है उससे कंट्रोल नहीं होता है जब तक बिहारीगंज से मुरलीगंज दमकल आती है मधेपुरा से मुरलीगंज आती है तब तक में सब अग्निकांड पटवा का गोदाम हो या स्टेशनरी का गोदाम हो अब देखिए बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, ज्योति देवी जूट मर्चेंट, माननीय मंत्री महोदय सही बोल रहे हैं टेक्सटाईल्स जो है आद्वित्य वाला, उसके बाद जी0बी0 स्टेशनरी अग्निकांड हुआ है महोदय, हम आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कि एक बड़ी दमकल की वहां व्यवस्था की जाय और जब तक मधेपुरा से आती है 28 किलोमीटर, बिहारीगंज से 26 किलोमीटर जाती है दमकल तब तक में सब स्वाहा हो जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मेरा आग्रह स्वीकार किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, उनके आग्रह को गंभीरता से लें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : जी, एक बड़ी दमकल की व्यवस्था मुरलीगंज में की जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-3256 (श्री मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0-58, कसबा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मो0 आफाक आलम । पूरक पूछिये, उत्तर संलग्न है ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, नहीं पढ़े हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग । उत्तर नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन माननीय सदस्य, सरकार की सजगता दिखाई पड़ रही है लेकिन विधायक की गंभीरता थोड़ी कम रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत श्रीनगर थाना वर्तमान में पुराने सरकारी भवन में कार्यरत है । थाना भवन निर्माण हेतु खाता संख्या-261, खेसरा नंबर-5098, रकवा-1.00 एकड़ भूमि उपलब्ध है । श्रीनगर थाना भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रुपया 5,29,70,100 (पांच करोड़ उनतीस लाख सत्तर हजार एक सौ रुपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-1897, दिनांक-01.03.2021 द्वारा प्रदान की गई है ।

वर्तमान में श्रीनगर (G+2 Structure) मॉडल थाना, ऑउट हाउस एवं स्टाफ के लिए आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री मो0 आफाक आलम : ठीक है धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान ।

तारांकित प्रश्न सं0-3257 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र सं0-56, अमौर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजवंशी महतो । उत्तर संलग्न है ।

तारांकित प्रश्न सं0-3258 (श्री राजवंशी महतो, क्षेत्र सं0-141, चेरिया बरियारपुर)

श्री राजवंशी महतो : महोदय, 30 जनवरी, 2022 की रात 13 दुकान का ताला टूट गया और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं कि दोनों थाना प्रभारी एक संबंधी हैं इसी कारण से ऐसा होता है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है आपका ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, वही कह रहे हैं कि 30 जनवरी, 2022 की रात 13 दुकान का ताला तोड़ दिया गया और उसी में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई ।

अध्यक्ष : कब तक होगी, यही न ।

श्री राजवंशी महतो : जी महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : क्या पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष : गृह विभाग से आप क्या पूछ रहे हैं फिर से बता दीजिए ।

श्री राजवंशी महतो : महोदय, 13 दुकान में ताला रात में तोड़ दिया, बगल में डी0एस0पी0 हैं और थाना है उसके बाद भी लोग नहीं आते हैं, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : कार्रवाई कब तक करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर सुन लीजिए । अब इसी पर फिर सब लोग शोर करेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष : बहुत लंबा उत्तर है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नहीं-नहीं, उत्तर सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : अब गंभीरता से सुनिये । माननीय मंत्री जी ।

टर्न-6/सत्येन्द्र/28-03-22

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि 30 जनवरी, 2022 की रात बारह दुकानों में ताला तोड़कर चोरी करने के आरोप में वादी मो0 मुस्तकीम के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध चेरियाबरियारपुर (मंझौल) थाना कांड संख्या- 22/2022 दिनांक 30-01-22 धारा 457/380 भा0द0वि0 दर्ज की गयी । अनुसंधान के क्रम में आसपास के सी0सी0टी0वी0कैमरा के अवलोकन से चोरी की वारदात करने वाले अज्ञात चोरों की पहचान की गयी है । अप्राथमिकी अभियुक्त राज चौहान उर्फ राजकुमार के घर से तालाशी के क्रम में चोरी की गयी राशि, चोरी के समय ताला तोड़ने में उपयोग किये गये लोहे के खंती, चोरी के दौरान पहने गये कपड़ा एवं जूता बरामद कर विधिवत जप्ती सूची तैयार किया है । अभियुक्त राज चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है । कैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई , माल भी बरामद कर लिया गया, गिरफ्तार भी कर लिया गया ।

श्री राजवंशी महतो: सर, 13 दुकान का ताला तोड़ दिया गया और एक ही को गिरफ्तार किया गया । एक आदमी क्या 13 जगह ताला तोड़ सकता है और थाना बगल में है डी0एस0पी0 का...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, इन्होनें सुना नहीं, अज्ञात के खिलाफ एफ0आई0आर0 है । एक का सी0सी0टी0वी0 कैमरे में आया है, सामान भी जप्त हुआ है, एक की गिरफ्तारी भी हुई है और कार्रवाई चल रही है तो केस खत्म कहां हुआ है ।

अध्यक्ष: चलिये, जवाब तो स्पष्ट है ।

श्री सुर्यकांत पासवान । पूरक पूछिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या 3259(श्री सुर्यकांत पासवान,क्षेत्र सं0-147,बखरी,अ0जा0)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री(लिखित उत्तर): 1-स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बखरी अनुमंडल में फौजदारी न्यायालय की स्थापना नहीं हुई है । फौजदारी न्यायालय तथा उप कारा की स्थापना समानांतर प्रक्रिया है । फौजदारी न्यायालय की स्थापना नहीं होने की स्थिति में उपकारा की उपयोगिता नहीं होती है । वर्त्तमान में बखरी अनुमंडल में अनुमंडलीय कारा के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है ।

2- उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री सुर्यकांत पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है, सरकार ने जो जवाब दिया है, हमने कहा है कि 27 वर्ष अनुमंडल का हो गया लेकिन वहां अनुमंडल कारा नहीं है महोदय जिससे अपराधी को बेगुसराय ले जाने के क्रम में कई बार रास्ते में ही अपराधी चौकीदार का हाथ पैड़ बांध कर फरार हो गया है । महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूॅ...

अध्यक्ष: सरकार ने जवाब दे दिया है कि अभी प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सुर्यकांत पासवान: महोदय, कैसे होगा होगा, प्रस्ताव नहीं है तो कैसे होगा महोदय ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, नियम है कि अनुमंडल में जब न्यायपालिका की स्थापना होती है तब उप कारा का निर्माण होता है और इसको हाईकोर्ट देख रही है, हाईकोर्ट में एक कमिटी है वह करती है..

श्री सुर्यकांत पासवान: महोदय...

अध्यक्ष: मंत्री जी जब बोल रहे हैं तो पहले सुनिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: जब न्यायालय अभी तैयार नहीं है तो जो नियम है, हाईकोर्ट जब अनुमति देगी तब वहां न्यायालय की स्थापना होगी और फिर कारा के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू की जायेगी ।

श्री सुर्यकांत पासवानः महोदय.....

अध्यक्षः श्री विश्वनाथ राम । समय कम है, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों का प्रश्न आये ।

तारांकित प्रश्न संख्या-3260(श्री विश्वनाथ राम, क्षेत्र सं0- 202 राजपुर ,अ0जा0)

श्री विश्वनाथ रामः पूछता हूँ महोदय, क्षेत्र में जाने के चलते हम उत्तर नहीं देख सके हैं इसलिए पूछता हूँ महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री सुर्यकांत पासवानः अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप मंत्री जी को बतला दीजियेगा, अलग से लिखकर दे दीजियेगा ।
माननीय मंत्री, गृह विभाग । श्री विश्वनाथ राम का उत्तर पढ़ दीजिये । आज सोमवार है लोग बाहर बाहर से ही आ गये हैं इसीलिए प्रश्न नहीं देख सके हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः उसके लिए जवाबदेह सरकार नहीं न है महोदय, सरकार के खिलाफ तो ये लोग बोलते ही हैं स्वाभाविक है, इनका हक है ।

अध्यक्षः लेकिन हम तो संरक्षक हैं ।

श्री विश्वनाथ रामः क्षमा चाहते हैं नहीं देखा है हमने ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः (लिखित उत्तर) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान मौजा-मंगरॉव, थाना नं0-116, चक खाता 234, खेसरा नं0- 690, रकवा 0.55 डी0 रैयत अनावाद सर्वसाधारण किस्त कब्रिस्तान खतियान में दर्ज है । उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी का निर्माण स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था । पश्चिम दिशा में दीवाल का निर्माण नहीं हुआ है । वर्त्तमान में कब्रिस्तान की चहारदिवारी क्षतिग्रस्त है । उक्त कब्रिस्तान की भूमि अतिक्रमणमुक्त है । राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता के आधार पर चयनित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री विश्वनाथ रामः महोदय, माननीय मंत्री द्वारा कहा गया कि कहीं अतिक्रमण नहीं है जबकि यह हमारे क्षेत्र का मामला है । मैं इसे प्रतिदिन देखता हूँ और घेराबंदी उसमें हुआ है और माननीय मंत्री जी कह रहे है कि घेराबंदी नहीं हुई है तो सरकार आखिर जनता को यह क्या जवाब देना चाहती है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: यह सरकारी कब्रिस्तान नहीं है, यह प्राईवेट है । एक तरफ दीवाल नहीं है बाकी तरफ दीवाल है जो क्षतिग्रस्त हो गया है । 20 साल पहले किया गया था चूंकि सरकारी नहीं है इसलिए सरकार नहीं करेगी ।

अध्यक्ष: श्री विनय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3261(श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या- 225, गुरूआ)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:(लिखित उत्तर) स्वीकारात्मक ।

अंचल अधिकारी, परैया के पत्रांक 273 दिनांक 25-03-22 के प्रतिवेदनानुसार मंदिर की चाहरदीवारी का निर्माण नहीं कराया गया है । अंचल अधिकारी, परैया के प्रतिवेदन के अनुसार इस तरह के कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है । गृह विभाग(विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक 8778 दिनांक 19-09-2016 के तहत राज्य अन्तर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो । प्रश्नगत परैया प्रखंड अन्तर्गत धर्मशाला में अवस्थित पुरानी मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है । इन्होनें कहा है कि उत्तर स्वीकारात्मक है तो हमारा कहना है कि धर्मशाला में जो शिव मंदिर है, वह अंग्रेजों के जमाने का शिवमंदिर है महोदय, वहां पर 32 एकड़ में पुरानी तालाब है जहां अतिक्रमण हो रहा है महोदय, तो उसकी घेराबंदी कराईयेगा कि नहीं महोदय ? इन्होंने कहा कि वह धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित नहीं है इसलिए हम नहीं करायेंगे तो क्या सरकार जो धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित है उसी मंदिर की चहारदिवारी नहीं करवाते हैं ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, जो धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित नहीं है उसकी घेराबंदी सरकार नहीं करवाती है और निबंधन करवाना वहां की जो संस्था है उसका काम है कि वह निबंधन करवाये धार्मिक न्यास बोर्ड में ।

श्री विनय कुमार: अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला में वैसे दर्जनों मंदिर का घेराबंदी हुआ है जो आपके धार्मिक न्यास बोर्ड में निबंधित नहीं है तो एक ही जगह पर दो कानून कैसे चलेगा । महोदय, हम कह रहे हैं कि वहां अतिक्रमण हो रहा है, 32 एकड़ का तालाब है..

अध्यक्ष: आप अलग से लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री विनय कुमार: नहीं महोदय, वहां घेराबंदी करवा दिया जाय । हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि उसको करवाये ।

अध्यक्ष: श्री राजेश कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3262(श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्रसं0-104, हथुआ)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:(लिखित उत्तर) अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत हथुआ प्रखंड के पंचायत बरीईशर के मौजा बरीईशर में राजेन्द्र चौधरी के घर के सामने अवस्थित कब्रिस्तान खाता संख्या- 26 खेसरा-1155, रकवा 11 डी0 किस्त रैयत (रैयत का नाम नजली मियां) है एवं खाता संख्या-2 खेसरा 1154, रकवा 16 डी0, किस्म बकास्त भूमि है । इस पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा दफन का कार्य किया जाता है । उपरोक्त भूमि पर स्थित कब्रिस्तान की पूर्व से घेराबदी है ।

श्री राजेश कुमार सिंह: महोदय, बाउंड्री अधूरा है, इसको पूर्ण करा दिया जाय ।

अध्यक्ष: ठीक है । आपका सुझाव ग्रहण किये मंत्री जी । श्री सुरेन्द्र राम ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3263(श्री सुरेन्द्र राम, क्षेत्र सं0-119, गरखा, अ0जा0)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री संजय कुमार गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3264(श्री संजय कुमार गुप्ता, क्षेत्र सं0-30, बेलसंड)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री राजेश कुमार सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 3265 (श्री राजेश कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-104, हथुआ)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री(लिखित उत्तर): वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री उमाशंकर गुप्ता, सा0 सुरवनिया, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज के लिखित आवेदन के आधार पर फुलवरिया थाना कांड संख्या- 250/18 दिनांक 31-10-18 धारा 341/323/504/379/147/148 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र भगत, गौतम सिंह, सुभाष सिंह, मोहन सिंह, पंकज सिंह, टुनटुन सिह एवं किशोर मांझी से मारपीट करने तथा फायरिंग करने वं गले से सोने का चेन छीन लेने के आरोप में दर्ज कराया गया है । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड धारा 341/323/307/504/506/379/147/148 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया नामजद सभी अभियुक्तों के

विरूद्ध सत्य पाया गया है । प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र भगत, मोहन सिंह, पंकज सिंह, टुनटुन सिंह, किशोर मांझी माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं तथा प्राथमिकी अभियुक्त गौतम सिंह एवं सुभाष सिंह की संलिप्तता/अन्यत्रता की जांच हेतु कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

श्री राजेश कुमार सिंहः महोदय, यह महत्वूपर्ण प्रश्न है, मारपीट का मामला है महोदय, दिनांक 30-10-2018 को केस हुआ और जिस दिन को केस हुआ उस दिन गौतम कुमार सिंह नाम का लड़का जो आपको सिंगापुर में था और उसका भाई सुभाष सिंह बड़ोदरा में था, वहां वह नौकरी करता है और बड़ोदरा में उस दिन डियूटी पर था और शाम को फ्लाईट से शाम को पांच बजे बड़ोदरा से दिल्ली आता है और उसी दिन दोनों पर केस हुआ है, वहां के थाना प्रभारी केस कर दिये है, सुपरवीजन में इंस्पेक्टर भी उसको टू कर दिया है । महोदय, उस दिन एक भाई सिंगापुर में और दूसरा बड़ोदरा में है तो इस पर पुलिस क्या कार्रवाई की और अभी भी उसके घर जाते है प्रशासन के लोग और गालीगलौज करते हैं जिस कारण अभी भी दोनों वहीं है, महोदय, पुलिस क्या कार्रवाई की और उसको दोषी कैसे ठहराया गया जबकि वह बाहर था ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः महोदय देखा जाय, पढ़े हैं उत्तर कि नहीं ?

श्री राजेश कुमार सिंहः पढ़े हैं, 100 परसेंट उत्तर गलत है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अब हम पढ़ देते हैं ।

अध्यक्षः उत्तर पढ़े हैं, इनका कहना है कि जो सिंगापुर विदेश में रह रहा है फिर भी उनका नाम डाल दिया गया और उसको टू कर दिया गया । आप इनके पूरक पर जवाब दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अब महोदय, गौतम सिंह और सुभाष सिंह जिनके विषय में ये कह रहे हैं, जब उनका पेटिशन आया तो फिर से जांच की जा रही है कि वे थे कि नहीं थे जो अनुसंधान के अन्तर्गत में है ।

श्री राजेश कुमार सिंहः महोदय, पूरे साक्ष्य के साथ और टिकट के साथ, विदेश के पासपोर्ट के साथ आवेदन दिया गया है इंस्पेक्टर को, उसके बाद भी ..

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्रीः अभी फाईनल नहीं हुई है, जांच चल रही है ।

श्री राजेश कुमार सिंहः महोदय, चार साल हो गया महोदय, उसके घर के लोगों को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, दोबारा एस0पी0 को सुपरविजन के लिए दिया

गया है लेकिन हुआ नहीं है महोदय । इसको स्थगित किया जाय महोदय, बहुत गंभीर मामला है महोदय..

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, बड़ा ही गंभीर सवाल है महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं और प्रश्न में भी मुद्रित है कि वे दो व्यक्ति जो हैं विदेश में थे तो जो थाना प्रभारी केस लिया और जो इंस्पेक्टर ने उसको टू किया उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई सरकार करना चाहती है ? यह तो स्पष्ट है महोदय ।

टर्न–7/मधुप/28.03.2022

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ललित जी तो पढ़ते नहीं हैं, उठ खड़े हो जाते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सब पढ़ लिये । इस तरह की बात नहीं बोलिये । सब पढ़ा हुआ है, प्रश्न को भी और आपके उत्तर को भी पढ़ा है । जवाब दीजिये, महोदय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं पढ़ रहा हूँ उत्तर । महोदय, आप ही इसका निर्णय करें । इन लोगों से सकना मुश्किल काम है ।

अध्यक्ष : पढ़ दीजिये, मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री उमाशंकर गुप्ता सा0–सुनवनिया, थाना–फुलवरिया, जिला–गोपालगंज के लिखित आवेदन के आधार पर, मतलब एफ0आई0आर0 के आधार पर, फुलवरिया थाना कांड संख्या–250/18, दिनांक–31.10.2018 धारा–341/323/504/379/147/148 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, एफ0आई0आर0 में जो अभियुक्त का नाम है, 1. सुरेन्द्र भगत, 2. गौतम सिंह, 3. सुभाष सिंह, 4. मोहन सिंह, 5. पंकज सिंह, 6. टुनटुन सिंह एवं 7. किशोर माँझी ने मारपीट करने तथा फायरिंग करने एवं गले से सोने का चेन छीन लेने का आरोप में दर्ज कराया गया है । अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से उक्त कांड धारा–341/323/307/504/506/379/147/148 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया नामजद सभी अभियुक्तों के विरूद्ध सत्य पाया गया है । फर्स्ट स्टेज में ।

प्राथमिकी अभियुक्त 1. सुरेन्द्र भगत, 2. मोहन सिंह, 3. पंकज सिंह, 4. टुनटुन सिंह, 5. किशोर माँझी माननीय न्यायालय में आत्म–समर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं तथा प्राथमिकी अभियुक्त 1. गौतम सिंह, 2. सुभाष सिंह की संलिप्तता/अन्यत्रता की जाँच, मतलब बाहर रहने की जाँच हेतु कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

इसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है ? कहाँ कठिनाई है, क्या परेशानी है ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि सुभाष सिंह और गौतम सिंह जब अपने विदेश में रह रहे हैं, उसका नाम इस घटना में ट्रू कर दिया गया तो उसके विरूद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुन तो लीजिये । ट्रू कर दिया गया । पेटीशन दिया तो फिर क्या कहा जा रहा है कि जाँच के अन्तर्गत है, इवीडेंस दें । इवीडेंस दें ।

(व्यवधान)

नहीं, अब नहीं चलेगा इस तरह से ।

अध्यक्ष : फिर से जाँच करवा लीजिये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : फिर से जाँच करवा लेंगे । कह दिये हैं मंत्री जी ।

अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिया जाय ।

(व्यवधान जारी)

क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : जो बाहर है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने साफ कहा कि इसको फिर से हमलोग देखवा लेते हैं ।

(व्यवधान जारी)

आगे बढ़ गये हैं । अब आगे बढ़ गये हैं ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री जी, इस मामले को गंभीरता से जाँच करा लें कि 2018 का मामला है....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जाँच चल रही है । जो पेटीशन आये हैं, इवीडेंस आयेगा तो उसको हटा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : चलते सदन में इसका जवाब....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : संभव नहीं है । वक्त लगेगा । संभव नहीं है अभी ।

अध्यक्ष : अच्छा तो ठीक है । जिनका प्रश्न है उनको जवाब भेजवा दीजियेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

(व्यवधान जारी)

वे जवाब भेजवा देंगे जॉच करवा कर ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 मार्च, 2022 के लिए माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान जारी)

आगे बढ़ गये । अब आगे बढ़ गये ।

जवाब देंगे । सरकार को निर्देशित किया गया है, इसका जवाब देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी ।

शून्यकाल

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत डॉक्टर इंदल सिंह राम जानकी डिग्री कॉलेज, परिहार से पास स्नातक के छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना से मिलने वाली 25 हजार की राशि नहीं मिल रही है ।

अत: सरकार से मॉग करती हूं कि सीतामढ़ी जिला के डॉक्टर इंदल सिंह राम जानकी डिग्री कॉलेज, परिहार से स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री स्नातक प्रोत्साहन राशि अविलंब दिलावें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार ।

श्री विनय कुमार : महोदय, गया जिला के गुरारू प्रखंड में कनौसी पंचायत अन्तर्गत मिठापुर मेन रोड से धनेश्वर विघा होते हुए महादलित टोला रामपुर तक आजादी के इतने वर्ष बाद भी पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

अत: मैं राज्य सरकार से मॉग करता हूँ कि शीघ्र सड़क का निर्माण करवाया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अपने-अपने स्थान पर जायें । सरकार को आसन से निर्देश दिया गया है कि उसकी जॉच कराकर....

(व्यवधान जारी)

नहीं, उस प्रश्न से आगे बढ़ चुके हैं इसलिये अब बैक नहीं हो सकते हैं ।

श्री रामवृक्ष सदा ।

(व्यवधान जारी)

इसीलिये न आसन से निदेशित किया गया है कि उसकी जॉच करवा कर माननीय सदस्य को जानकारी दें ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग क्या चाहते हैं कि सदन नहीं चले ? जब सदन चलता है तब न गंभीरता से आप प्रश्न पूछते हैं ? आप अपने स्थान को ग्रहण करिये ।

(व्यवधान जारी)

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा व्यापक पैमाने पर खाद की कालाबाजारी करने से किसानों की फसल नष्ट हो गयी है । बेगूसराय जिले में रहते उक्त कृषि पदाधिकारी को माननीय मंत्री, कृषि ने अयोग्य कहा ।

अत: किसान हित में सरकार उक्त कृषि पदाधिकारी के कृत्य की उच्चस्तरीय जॉच कराये एवं किसानों को क्षतिपूर्ति दे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी लोग अपने-अपने स्थान पर जायें । अवध विहारी चौधरी जी बोलेंगे । जाइये आपलोग अपने स्थान पर ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल से अपने-अपने स्थान पर चले गये)

(व्यवधान)

यह उचित स्थान नहीं है । वह उचित स्थान नहीं है ।

(व्यवधान)

तय करिये कि आप दोनों में कौन बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सरकार ने गंभीरता से लिया है कि हम जॉच करवा देते हैं ।

(व्यवधान)

जॉच के बाद कार्रवाई होगी । पहले कार्रवाई ही होगी ?

अवध बाबू, एक लाईन में बोलिये ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इनका सुन तो लीजिये । नेहाल साहब का सुन लीजिये ।

अध्यक्ष : अच्छा, एक लाईन में ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, हम जब आ रहे थे, सारे माननीय सदस्य जो आ रहे थे, सबको सिनेमा का टिकट दिया जा रहा है । जिस सिनेमा में सिवाय.....

अध्यक्ष : विषय आ गया । हो गया । अब आप बोलिये ।

(व्यवधान)

नहीं बोलियेगा तो अब श्री प्रमोद कुमार सिन्हा ।

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राजेश सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह काफी गम्भीर है । सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया है, वह जवाब उचित नहीं है । वे दोनों बाहर रहते हैं और चार्जशीटेड उनलोगों को कर दिया गया है । इसलिये चार्जशीटेड जो पदाधिकारी किया है, उसको पहले निलंबित करना चाहिए । मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर दिया जाय और चलते सत्र में सरकार जवाब मॅगाकर कि उनलोगों पर क्या कार्रवाई हुई, उपलब्ध कराये ।

इसके संबंध में मैं आसन से निवेदन करूँगा कि चलते सत्र में जवाब दिलवाने का काम किया जाय ।

टर्न–8/आजाद/28.03.2022

अध्यक्ष : श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, आप पढ़िए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारणवश दुर्घटित मरीज को बहिर्वासी चिकित्सा में कठिनाई होती है, यहां भारत नेपाल के अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर एवं पर्यटन क्षेत्र भी है ।

मैं उपरोक्त अनुमंडलीय अस्पताल में वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्धता की मांग सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिए प्रश्न का कई तरीका है और आपलोग प्रश्न लाईयेगा तभी सरकार गंभीरता से जवाब देगी । हम जो कहे, इसलिए बैठ जाइए । श्री मिथिलेश कुमार, एक मिनट।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आसन से अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इसको देख लें और इसमें जो लोग दोषी हैं, उनपर कार्रवाई हो महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको आसन देखेगा । अब बैठ जाइए, अब सदन चलने दीजिए । यह उचित नहीं है ।

तो फिर आसन नहीं देखेगा, अगर आप लोग ही शोरगुल कीजियेगा तो । श्री मिथिलेश कुमार ।

श्री मिथिलेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगर निगम क्षेत्र में अब तक के सभी प्राक्कलित सड़कों एवं नालों को पूर्ण गुणवत्ता का सख्त पालन करते हुए, शीघ्र सभी कार्य संबंधित विभाग मानसून प्रविष्टि से पूर्व सम्पादित करायें ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत कोढ़ा प्रखण्ड में प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, कोढ़ा के मुख्य रास्ते में ईट सोलिंग पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल आने-जाने में कठिनाई होती है ।

अतएव उक्त विद्यालय के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए चहारदिवारी बनाने की मांग करती हूँ ।

श्रीमती नीतू कुमारी : अध्यक्ष महोदय, हिसुआ विधान सभा अन्तर्गत नगर परिषद्, हिसुआ द्वारा संचालित बस पड़ाव बीच बाजार में अवस्थित है, जिसके कारण आम जनमानस को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है ।

अत: निवेदन है कि उक्त बस पड़ाव का स्थल स्थानान्तरण करने की सदन से मांग करती हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलव में 3,01,413 पद रिक्त होने के बावजूद सरकार बहाली नहीं कर रही है । बिहार से सबसे ज्यादा नौजवान रेलवे की नौकरी में जाते हैं, इसलिए राज्य सरकार रेलवे में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार से पहल करे ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, राज्य में मुख्यमंत्री अक्षर योजनान्तर्गत लगभग 30000/- शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज कर्मी अस्थायी रूप से कार्यरत हैं तथा इनका मासिक मानदेय मात्र 11,000/- रूपये है जो पारिवारिक जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं है ।

अत: मैं कर्मियों को स्थायी तथा सम्मानजनक मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री भरत बिन्द : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखण्ड के मरिचॉव गांव में कुनकुनहिया नदी के पानी बहाव से भारी कटाव हो रहा है । गांव के लोगों को भय बना रहता है कि नदी के कटाव से घर बह न जाय ।

अत: सरकार से नदी के कटाव रोकने की मांग करता हूँ ।

श्री सुनील मणि तिवारी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में राज्य में संविदा के आधार पर ग्राम कचहरी सचिव को नियोजित की गई थी, जिनकी मानदेय छ: हजार है । इतनी महंगाई में मात्र छ: हजार रूपये से उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है ।

अत: सरकार से उनकी स्थायी नियुक्ति कर मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती रेखा देवी : अध्यक्ष महोदय, न्यू फैमली टाइप-2 क्वार्टर नं0-2 में संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है । जिससे आवास आवासन योग्य नहीं है । पदाधिकारी टालमटोल करते हैं । अविलम्ब उक्त आवास की मरम्मती कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत चिरैया प्रखंड के लालबेगिया निवासी सह शिक्षक रामविनय सहनी की निर्मम हत्या दिन-दहाड़े अपराधियों द्वारा कर दी गई ।

मैं राज्य सरकार से अपराधियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जॉच तथा पीड़ित परिजनों को सुरक्षा एवं 20 लाख रूपया मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया प्रखण्ड में स्थापित एस0पी0 यादव कॉलेज, कटोरिया को कला संकाय में स्थायी संबंधन हेतु तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के अनुशंसा के आलोक में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार से स्थायी संबंधन आदेश निर्गत करने की मांग करती हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला के सदर प्रखण्ड अन्तर्गत शंकरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय, नवादा शंकरपुर का अपना भवन खंडहर हो जाने के कारण दूसरे विद्यालय में अस्थाई रूप से चल रहा है ।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से उक्त विद्यालय का भवन बनवाने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज विधान सभा में नावार्ड योजना के तहत 35 ऐसे पुल जिसके दोनों ओर विगत चार वर्षों से पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसका डी0पी0आर0 विभाग को समर्पित है यथा परमाणनदी का

खमकौलघाट, डहराघाट, गरैयानदी के राजदेव टोला घाट आदि पर विभाग द्वारा समर्पित पुलों के डी0पी0आर0 की स्वीकृति की मांग सदन से करता हूँ।

श्री सउद आलम : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अन्तर्गत ठाकुरगंज व दिघलबैंक के दो सौ से अधिक गांव नदी के कटाव से प्रभावित है, जिससे पूरी आबादी कटाव में विलीन हो जाती है ।

अत: ठाकुरगंज व दिघलबैंक के दो सौ से अधिक गांव में होने वाले कटाव को बांधने के लिए बोल्डर पिचिंग की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति से बैठिए । यह उचित नहीं है । माननीय सदस्य श्री महा नन्द सिंह, अपना शून्यकाल पढ़िए ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना में 2021 के 80 दिनों में अरवल में 114 घायल और 24 लोगों की मौत हो गई है । बालू लदे व अन्य ट्रकों का परिचालन ज्यादा होने से दुर्घटना ज्यादा होती है । तत्काल मुआवजा, बाइपास निर्माण व रात्रि में ट्रकों का परिचालन की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : यह गलत है । इस तरह का व्यवधान पैदा करना गलत है ।

(इस अवसर पर राजद, सी0पी0आई0(माले) एवं सी0पी0आई0(एम0) के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी और न प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा ।

(व्यवधान जारी)

यह गलत है । अपनी विरासत को इस तरह से अवहेलना करना यह अशोभनीय है । यह मानसिकता राष्ट्र के हित में नहीं है । इस तरह की मानसिकता उचित नहीं है । यह बहुत गलत है । यह मानसिकता कभी राष्ट्र के लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

सदन 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-9/शंभु/28.03.22

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय विधेयक

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्यकर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं समीर कुमार महासेठ का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

श्री अजीत शर्मा : सर, मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि समय सीमा कम दी गयी है। इसे 31 दिसम्बर, 2023 तक कम से कम किया जाना चाहिए । साथ ही सरकार अन्य बिन्दुओं पर विमर्श कर ले कि कौन-कौन से संशोधन जनोपयोगी हो सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : जी मूव करूँगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022'' दिनांक 31 मई, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, प्रस्तुत संशोधन राज्य की जनता के कर से संबंधित है । सदन में बार-बार संशोधन हेतु सरकार विधेयक लाती है । इस समस्या से निबटने हेतु इस संशोधन विधेयक को और व्यापक एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इसे जनहित में जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022'' दिनांक 31 मई, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022'' पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में दो संशोधन है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन की सातवीं पंक्ति के अंक एवं शब्द ''30 सितम्बर, 2023'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''31 मार्च, 2024'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि विभाग को भी समय मिल सके और जिनपर कार्रवाई की जा रही है उन्हें कुछ भी समय मिल सके इसलिए 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन की सातवीं पंक्ति के अंक एवं शब्द ''30 सितम्बर, 2023'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''31 मार्च, 2024'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन की सातवीं पंक्ति के अंक एवं शब्द ''30 सितम्बर, 2023'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''31 मार्च, 2023'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि कार्रवाई के लिए समय सीमा का विस्तार 30 सितम्बर, 2022 तक ही किया गया है । इसे 31 दिसम्बर, 2023 तक विस्तारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड(ख) में प्रस्तावित संशोधन की सातवीं पंक्ति के अंक एवं शब्द ''30 सितम्बर, 2023'' के स्थान पर अंक एवं शब्द ''31 मार्च, 2023'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022'' स्वीकृत हो ।''

महोदय, वाणिज्यकर विभाग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और राज्य के कर राजस्व में वाणिज्यकर विभाग की 80 परसेंट हिस्सेदारी रहती है । महोदय, 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में जो जी0एस0टी0 प्रणाली

लागू हुआ उसके उपरांत जी0एस0टी0 के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के लिए वैध विद्युत् शुल्क अधिनियम एवं पेशाकर अधिनियम का प्रशासन किया जाता है । महोदय, सरकार द्वारा करदाताओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए जी0एस0टी0 प्रणाली में निरंतर सुधार किये जा रहे हैं । केवल मालों का कारोबार करनेवाले व्यवसायियों के लिए निबंधन की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रूपये के टर्नओवर की कर दी गयी है । महोदय, डेढ़ करोड़ रूपये तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए कम्पोजिशन स्कीम की सुविधा उपलब्ध है । इस स्कीम में आनेवाले करदाताओं के लिए त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने के प्रावधान थे, इस सुविधा का लाभ बढ़ाते हुए अब इस स्कीम में केवल वार्षिक विवरणी दाखिल करने के प्रावधान किये गये हैं । सभी प्रकार के सेवा प्रदाताओं जिसे सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं, को भी इस योजना में शामिल करने का विकल्प दिया गया है । महोदय, 2 करोड़ तक वार्षिक सकल आवर्त वाले छोटे करदाताओं को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान की गयी है ।

(क्रमशः)

टर्न-10/पुलकित/28.03.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : महोदय, कर दाताओं की मांग पर जी0एस0टी0 अधिनियम में दिनांक 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से ही संशोधन करते हुए ग्रॉस अमाउंट के स्थान पर शुद्ध भुगतेय राशि अर्थात नेट केश टेबल पर ब्याज में गन्ना के प्रावधान किये गये हैं । महोदय, जी0एस0टी0 प्रणाली के अंतर्गत रिर्टन दाखिल करने की व्यवस्था को सरल बनाने एवं अनुपालन बोझ को कम करने हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2021 से QRMP (क्वाटरली रिर्टन मंथली पेमेंट) जिसे हम बोलते हैं इस स्कीम को हम सभी ने लागू किया है । वैश्विक महामारी कोविड- 19 के समय व्यवसाय/उद्योग जगत को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विवरणियों को दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार विलम्ब शुल्क से छूट एवं कर भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर में कटौती जैसी सुविधायें प्रदान की गयी है । महोदय, इसके साथ ही इस महामारी के प्रकोप से आम जनता को भी राहत प्रदान करने के लिए इस उद्देश्य से ब्लैक फंग्स के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा को भी कर मुक्त किया गया । कई अन्य दवाओं पर कर की दरें घटाई गई है । महोदय, सरकार द्वारा कर दाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए वाणिज्य कर विभाग के पुराने बकायों के निपटान हेतु जनवरी, 2020 में एकमुश्त कर समाधान जिसे

ओ0टी0एस0 स्कीम कहा जाता है, लाया गया । व्यवसाय/उद्योग जगत की मांग के आलोक में माह सितम्बर, 2020 में इसे पुनः लागू किया गया, जो दिनांक 20.09.2021 तक प्रभावित थी । महोदय, सरकार के ऐसे प्रयासों से व्यवसाय/उद्योग जगत पर सकारात्मक प्रभाव हुआ एवं पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा 22.62 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करते हुए कुल 32,083.38 करोड़ का कर संग्रहण किया गया जो लक्ष्य के विरुद्ध 105.02 प्रतिशत है । चालू वित्तीय वर्ष में भी माह फरवरी, 2022 तक विभाग द्वारा 44.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 32,750.66 करोड़ का संग्रहण किया जा चुका है । चालू वर्ष में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का प्रभाव बिहार राज्य पर भी पड़ा है । फलस्वरूप 06 जनवरी, 2022 से कई प्रतिबंधों को लागू किया गया । सरकार द्वारा लागू किये गये प्रतिबंधों के कारण सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति तथा आवागमन प्रभावित हुआ है । कर दाताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों में किसी कार्रवाई का अनुपालन करने की समय-सीमा को तत्काल छह माह अर्थात 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है । साथ ही सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि सरकार यदि चाहे तो इस समय-सीमा को अगले एक वर्ष अर्थात 30 सितम्बर, 2023 तक के लिए और भी बढ़ाई जा सकती है । महोदय, इस विधेयक में सबसे अच्छी बात लगी हमारे विपक्ष के साथी भी सहमत है और वे तिथि को और बढ़ाना चाह रहे थे लेकिन हमारे अपने माननीय प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने अपने कई बहुमूल्य विचार रखे हैं, हम उन्हें आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि एक वर्ष की समय-सीमा इस छह माह के बाद हम बढ़ा सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम फिर इस विधेयक को ला सकते हैं । जो अपने व्यवसायी है जिनकी बिहार के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है, जो उद्यमी हैं उनके सहयोग से राज्य के विकास में बड़ी भूमिका रहती है । महोदय, वाणिज्य कर विभाग समय-समय पर उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कई चीजें जी0एस0टी0 काउंसिल के माध्यम से या इस सदन के माध्यम से संशोधन लाता रहता है ।

अतः उस आलोक में महोदय मैं बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 को सर्वसम्मति से पारित किये जाने हेतु सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कराधान विधि (समय-सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 122(1) के तहत माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : महोदय, मैं मूव करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है पिछले वर्ष यह मूल विधेयक जो वर्ष 2012 में लाया गया और उसे जमीन मालिकों की सहमति का प्रावधान था । किन्तु अब जो सरकार पॉलिसी लाई है इसमें साफ तौर पर यह संशोधन लाया गया है कि परंतु यह किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लॉट क्षेत्र के 80 प्रतिशत भूमि की भूमि मालिकों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल ऑलरेडी वर्ष 2012 में लाया गया था और वर्ष 2012 में यह जमीन मालिकों का अधिकार था कि वह अपनी सहमति दें लेकिन यह सरकार जो नये नियम ला रहे हैं वह वर्ष 2022 के नियम में जमीन भू मालिकों के अधिकार पर अंकुश है इसलिए मैं इसके सिद्धान्त पर विमर्श के लिए मैंने प्रस्ताव दिया है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक पर जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, प्रस्तुत संशोधन विधेयक को अधिक व्यापक और कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य से जनमत जानने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाय । यह विधेयक राज्य के किसान के कृषि योग्य एवं व्यवसायिक भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, इससे राज्य के

भूमि मालिक भूमिहीन हो जायेंगे । इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान नहीं है केवल मुआवजा है । यह विधेयक भू मालिकों के हित में नहीं है । इसे तो जनमत जानने हेतु जरूर भेजा जाये । महोदय, बड़ी-बड़ी परियोजना भी जरूरी है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि जो भी संशोधन किया जाए वह सम्यक हो और बार-बार इस सदन का संशोधन में वक्त जाया न हो । इसलिए इसे एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य, समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य, समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया, क्योंकि मुझे लगता है इस विधेयक द्वारा लाये गये संशोधन पर विस्तृत विचार-विमर्श हो सके और प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन दे ताकि सदन का बहुमूल्य समय बचे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 को प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में दो संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 (ख) के परन्तुक को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय''

परन्तु यह कि किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक होगी ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि कोई भी अधिग्रहण बिना सहमति के किया जाना निरंकुश हो जाना है । यदि 80 प्रतिशत की सहमति होगी तो

शेष 20 प्रतिशत लोगों को समझाया-बुझाया जा सकता है लेकिन किसी की सहमति नहीं हो और जबरन अधिग्रहण कर लिया जाय यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इसलिए इसे सरकार को मान लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 (ख) के परन्तुक को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय।''

परन्तु यह कि किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक होगी ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : करेंगे सर । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 (ख) के परन्तुक को विलोपित किया जाय।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि प्रस्तावित 'ख' द्वारा भूमि मालिकों के अधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे कोई सहमत हो या न हो उसकी जमीन जबरन अधिगृहित कर ली जायेगी ऐसा कोई कानून हमारे वेलफेयर स्टेट में नहीं बनना चाहिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है

''कि विधेयक के खंड-2 (ख) के परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022'' स्वीकृत हो ।''

महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन के द्वारा कई बातों को और संशोधन को रखने का काम किया है । मुझे लगता है कि इसको समझने में कहीं-न-कहीं कोई चूक हो रही है । महोदय, निजी क्षेत्र की जिनकी जमीन है चाहे वह 80 प्रतिशत जमीन के मालिक हों या 80 प्रतिशत मालिक हों सब मिलाकर, उनको कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं । सिर्फ जो आयोजना है, जो प्राधिकार है वह अगर स्वयं करेगा तब ये सारे जो नियम-उपनियम हैं उससे उनको रिलेक्स किया जायेगा । महोदय, राज्य के शहरी क्षेत्रों तथा आयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत मास्टर प्लान की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि एकत्रीकरण नीति तैयार करने की कार्रवाई नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा की जा रही है । महोदय, नीति प्रारूप तैयार करने के क्रम में देश के अन्य राज्यों से संबंधित अधिनियम और जो हमारी नियमावली है, नीतियां हैं, दिशा-निर्देश इत्यादि का भी हम सबने अध्ययन किया है और उसको कहीं न कहीं संदर्भित किया है । जिन राज्यों में यह योजना सिर्फ प्राधिकार के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं वहां भूमि

मालिकों से सहमति के न्यूनतम प्रतिशत का कोई प्रावधान नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा रहने से कतिपय व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है ।

अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा 47 में किसी आयोजना प्राधिकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में कुल भूमि मालिकों की संख्या के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति या कुल प्लाट क्षेत्र के 80 प्रतिशत भूमि मालिकों की सहमति की आवश्यकता नहीं होने से संबंधित प्रावधान परन्तुक के रूप में आज यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया है महोदय । महोदय, किसी भी राज्य के विकास में उसका शहरीकरण ओर नगरीय स्वरूप का क्या महत्व है यह बताने की जरूरत नहीं है । महोदय, कई शहर अनियोजित ढंग से बस रहे हैं जिससे कई प्रकार की कठिनाइयां भी हो रही हैं और जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसमें भी काफी कठिनाइयां होती हैं । कहीं सड़कें कम चौड़ी हैं, तो हम बहुत, आवागमन की सुविधाओं की भी कठिनाई होती है । महोदय, इन प्राधिकारों का गठन हमलोग तेजी से बिहार में कर रहे हैं और यह जो प्रावधान है, यह सिर्फ जब सरकार या आयोजना समिति करेगी उसके लिए महोदय, यह रिलेक्स किया गया है । शेष जो निजी क्षेत्र के जमीन मालिक हैं उसमें जो 80 प्रतिशत का प्रावधान है वह तो है ही उसमें कहीं से हम उनको, जबरदस्ती और इस तरह से नहीं ले सकते हैं । इसलिए महोदय, मुझे लगता है कि यह राज्य के विकास के लिए काफी आवश्यक और ऐतिहासिक कदम है और मैं आपके माध्यम से अपने तमाम सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए । जिस प्रकार से बिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा है, तो नगरीय क्षेत्र में भी एक व्यवस्थित ढंग से हम उसे विकसित करें, उसके लिए यह आवश्यक था । इसलिए महोदय, आग्रह है कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

टर्न-12/हेमन्त/28.03.2022

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापति करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री राजेश कुमार के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धांत पर विमर्श हो ।''

महोदय, मैंने इस विधेयक को लाये जाने के सिद्धांत पर इसलिए संशोधन दिया, क्योंकि मैं इसके लाये जाने को उचित नहीं समझता हूं । देश में जहां बेराजगारों की फौज

है और एक से एक विद्वान व्यक्ति उपलब्ध हैं, वहां बार-बार किसी खास व्यक्ति के लिए उम्र सीमा बढ़ाया जाना उचित नहीं है ।

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक का जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मूव करता हूं ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, यह विश्वविद्यालय सेवा आयोग से संबंधित है । सरकार ने सर्वप्रथम तो राज्य में जो पूर्व से स्थापित विश्वविद्यालय सेवा आयोग था उसको भंग कर दिया, जो लगभग 15 वर्षों से भंग रहा जबकि आज के समय में राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो शिक्षक कार्यरत हैं, जो स्थायी शिक्षक, वह उसी आयोग से ही आये हुए हैं और उस समय में उस आयोग से चयनित माननीय लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बहाली हुई थी । लेकिन सरकार ने अपने अभिमान के कारण उस आयोग को भंग कर दिया । पुनः उसी आयोग को पिछले वर्ष गठित किया गया फिर इसको इस समय संशोधन के लिए लाया गया । इसीलिए मेरा मानना है कि विधेयक को पारदर्शी एवं व्यापक बनाने के लिए और एक खास व्यक्ति का, उनका कैसे चयन हो इसके लिए उम्र सीमा बढ़ायी जा रही है । महोदय, हमको लग रहा है कि जीवन के 75 साल का, कार्यकाल का, लगता है कि वह जीवन का अंतिम पड़ाव होता है, तो इसमें आजीवन ही कर दिया जाय । क्या मतलब है इसका ?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी, मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है, क्योंकि इसमें सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्रमशः 75 वर्ष तक और 70 वर्ष किया जा रहा है । बार-बार इस तरह के संशोधन इस कानून में आ चुके हैं । इसलिए यह विचारणीय बिंदु है कि राज्य के नौजवान जहां बेराजगार हैं वहां सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष तक किये जाने का क्या औचित्य है ? इसलिए इसे एक संयुक्त प्रवर समिति में विचारार्थ भेजे जाने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैं जानता था कि सरकार इसे वापस नहीं लेगी । इसलिए मैंने इसमें प्रवर समिति का भी संशोधन दिया है । प्रवर समिति में भेजे जाने पर इस पर विस्तार से चर्चा होगी और उम्र सीमा बढ़ाये जाने की आवश्यकता है या नहीं इसको देखा जायेगा और जब प्रतिवेदन आयेगा उस पर यह सदन विचार-विमर्श कर निर्णय लेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में तीन संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक की पहली पंक्ति के अंक '75' के स्थान पर अंक '70' तथा दूसरी पंक्ति के अंक '70' के स्थान पर अंक '65' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं इस विधेयक के खंड-2 में माननीय अध्यक्ष, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की उम्र सीमा 75 वर्ष की गयी है एवं सदस्य की उम्र सीमा 70 वर्ष की गयी है जो कि व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि मानव की कार्य क्षमता उम्र के साथ घटती है । तो 75 वर्ष की आयु राज्य के मानव की औसत आयु के बराबर है महोदय । इससे तो अच्छा होता कि जीवनपर्यंत या आजीवन कर दिया जाता ।

अतः अध्यक्ष की उम्र सीमा को 75 वर्ष की जगह 70 वर्ष एवं सदस्य की उम्र सीमा 70 वर्ष की जगह 65 वर्ष संशोधित किया जाय महोदय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक की पहली पंक्ति के अंक '75' के स्थान पर अंक '70' तथा दूसरी पंक्ति के अंक '70' के स्थान पर अंक '65' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : करेंगे सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक की पहली पंक्ति के अंक '75' के स्थान पर अंक '85' तथा दूसरी पंक्ति के अंक '70' के स्थान पर अंक '80' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं जानता था कि सरकार मानेगी ही नहीं इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया ताकि एक ही बार में क्रमशः 85 वर्ष और 80 वर्ष आयु सीमा कर दी जाय । तकनीकी रूप से यह संभव नहीं था अन्यथा मैं यह संशोधन देता कि सेवानिवृत्ति की आयु जीवनपर्यन्त की जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक की पहली पंक्ति के अंक '75' के स्थान पर अंक '85' तथा दूसरी पंक्ति के अंक '70' के स्थान पर अंक '80' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है ताकि अनन्तकाल तक किसी खास व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाय । भारत में औसत आयु लगभग 65 वर्ष है और सेवानिवृत्ति की आयु 75 वर्ष और 70 वर्ष की जा रही है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है । इसीलिए इसे मैंने विलोपित करने का प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के प्रथम परन्तुक को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-13/धिरेन्द्र/28.03.2022

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, शिक्षा मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, यह मैं इसलिए कहता हूँ कि इस सदन के सारे सदस्य और आसन भी अवगत है कि हमारे यहां विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं, उन पर शीघ्र नियुक्तियां करना, यह आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता

है । इसके लिए पहले लोक सेवा आयोग को दिया गया था, उसके माध्यम से नियुक्तियां करने में काफी विलम्ब हो रहा था । महोदय, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के निदेश पर शिक्षा विभाग ने इसी सदन से बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, 2017 की स्वीकृति प्राप्त की थी और उसके आधार पर हमलोगों ने उस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र सीमा निर्धारित की थी, उसमें हमलोगों ने अध्यक्ष के लिए 72 और सदस्य के लिए 70, यह उम्र सीमा हमलोगों ने निर्धारित की थी लेकिन महोदय, यह जो पिछले समय का हमारा अनुभव रहा है और जो इस आयोग के काम की प्रकृति और प्रवृति है कि इसमें अनुभवी लोगों की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि सदन सहमत होगा कि इसमें हम सहायक प्राध्यापकों और प्राचार्यों की नियुक्ति करते हैं तो यह जाहिर सी बात है कि इसमें जितने अनुभवी लोग रहेंगे, उतना ही चयन सही होगा। यह सरकार का मकसद है और यह हमने इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु में साफ-साफ इन बातों को कहा है । महोदय, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए लेकिन हमें यह नहीं लगा कि इस एक पंक्ति के साधारण संशोधन विधेयक पर विपक्ष इतना भ्रमित कैसे हो गया । हमें तो....

(व्यवधान)

क्यों हो गये, वह भी बता देते हैं और कैसे हो गये, यह भी बता देते हैं और हमको क्यों लगा, यह भी बता देते हैं । महोदय, हमको इसलिए लगा कि अभी महोदय आपने सुना होगा कि प्रवर समिति से लेकर संयुक्त प्रवर समिति से लेकर जनमत जानने से लेकर जो संशोधन अलग-अलग खंडों में आये हैं तो समीर कुमार महासेठ जी ने, ललित जी ने और अजीत जी ने जितनी बातें कही, आपने महोदय, आसन से सब सुना है । एक तरफ कहा गया कि उम्र बढ़ा रहे हैं लगातार, जब इतनी बेरोजगारी है, क्यों उम्र बढ़ा रहे हैं तो इसको आप मत बढ़ाइये, जिससे नये लोग आयेंगे । महोदय, दूसरी तरफ आपने एक संशोधन का प्रस्ताव यह भी देखा कि हम जो 75 कह रहे हैं उसको ये 85 करना चाह रहे हैं, हम जो 70 कह रहे हैं तो इसको ये 80 करना चाह रहे हैं । महोदय, आप समझिये कि अगर हमने कहा कि विपक्ष भ्रमित है, कोई एक निर्णय सोच की स्थिरता नहीं आ रही है तो हमने क्या गलत कहा और महोदय, हमने जो सरकार की तरफ से संशोधन लाया है उसके पीछे मकसद है । मकसद यह है कि अनुभव एक अपरिहार्य चीज होती है, अनुभव स्कूल में पढ़ाई से भी नहीं मिलता है । महोदय, योग्यता और सर्टिफिकेट प्रमाण-पत्र, चाहे डिग्रियां हम कहीं की हासिल कर लें लेकिन अनुभव किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है

और कहा जाता है कि उम्र जब ढलान पर होती है तो अनुभव जवान होता है । महोदय, यह तो उम्र के साथ आने वाली प्रक्रिया है लेकिन कहते-कहते इन्होंने तो जब 75 से 85 करने को कह दिया, ललित जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि उम्र के अलग-अलग पड़ाव होते हैं । 60 के बाद ढलान शुरू होती है, उसके बाद जब ढलान में अनुभव जवान होता है तो उसके साथ परिपक्वता आती है, जब सोच में परिपक्वता आती है तो विचार स्थिर और संतुलित होते हैं, फिर आप निर्णय सही लेते हैं जिससे हम सहायक प्राध्यापकों और प्रधानाचार्यों के चयन में संतुलित मस्तिष्क वाले व्यक्ति से वह प्रक्रिया कराना चाहते हैं और .....

(व्यवधान)

अब देखिये, महोदय, आधी बात में ही और महोदय, यह जो 85 और 90 पर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अनुभव ग्रहण कीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, ये जो 85 से 90 पर ले जा रहे हैं और अजीत शर्मा जी ने तो कह दिया कि आजीवन प्रावधान कर दीजिये । 75, 80 के बाद, जो हमने कहा कि परिपक्वता आती है .....

अध्यक्ष : अजीत शर्मा जी नहीं कहे, ललित यादव जी ने कहा है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो भी कहे हों .....

(व्यवधान)

जीवनपर्यंत कर दीजिये । आप ही ने कहा तो हम आप ही के नाम इसको खाते में डालते हैं । इनको वापस कर दीजियेगा । महोदय, तो हमने यह कहा कि उम्र के अलग-अलग पड़ाव होते हैं 75 से ऊपर जाने पर वह परिपक्वता, अशक्तता में बदलने लगती है, शारीरिक दुर्बलता में बदलने लगती है, मानसिक दुर्बलता में बदलने लगती है । महोदय, इसलिए हमने सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव लाया है, वह उचित है और हम आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से बिहार राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सही ढंग से, सही योग्यता वाले शिक्षक चयनित हों, इसके लिए इस संशोधन को मंजूरी देने की यह सदन कृपा करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव, सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

क्या माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

जनमत जानने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सुधाकर सिंह द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित कराने का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

टर्न-14/संगीता/28.03.2022

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं मूव करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

महोदय, राज्य के कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशासन के उच्चतम मानक स्थापित करने में कृषि विश्वविद्यालय का सहयोग रहता है, अतः इसे समय-समय पर सुधार किया जाना उचित है लेकिन व्यापक और जनहित पर आधारित होने के लिए इसे जनमत जानने के प्रस्ताव को पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 दिनांक 30 अप्रील, 2022 तक जनमत जानने हेतु परिचालित हो ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा संयुक्त समिति का प्रस्ताव आया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : जी मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि बार-बार सरकार को संशोधन इस कानून में न लाना पड़े इसलिए इसे एक सयुंक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय

ताकि सम्यक विचार हो और तब जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है उस पर पुनः सदन विचार करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है, क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि बार-बार किसी कानून में सरकार को संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े और इस सदन का बहुमूल्य समय भी जाया न हो इसलिए जितने संशोधन की आवश्यकता हो उसके बारे में प्रवर समिति सुझाव दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अंदर दे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में 3 संशोधन हैं ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मूव करेंगे । महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय–

''20(2) कुलपति कृषि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे जिन्होंने 10 वर्षों तक कृषि से संबंधित किसी प्रतिष्ठित एकेडमी के प्राधिकार की जिम्मेवारी निभायी हो ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है ताकि अच्छे और गुणवान व्यक्ति कुलपति बन सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय–

''20(2) कुलपति कृषि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे जिन्होंने 10 वर्षों तक कृषि से संबंधित किसी प्रतिष्ठित एकेडमी के प्राधिकार की जिम्मेवारी निभायी हो ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव एवं श्री सुधाकर सिंह द्वारा एक समान संशोधन दिया गया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं मूव करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड–2 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह ''10(दस) वर्षों'' के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह ''7(सात) वर्षों'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

इस विधेयक के खंड–2 में कुलपति के नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय प्रोफेसर की 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य करके प्रावधान को 7 वर्षों की सेवा ही रखी जाय क्योंकि राज्य में समय पर न तो डिग्री मिलती है न तो समय पर बहाली होती है जिसके कारण सहायक प्रोफेसर बनने में ही 35–40 वर्ष लग जाता है और पुनः उससे प्रोफेसर बनने में 50 से 60 वर्ष लग जाता है । सब मिलाकर यह विफलता के कारण होता है कि सरकार की नीतियां गलत होने से और इससे राज्य के बाहर के व्यक्तियों को भी ज्यादा मौका मिलेगा महोदय, राज्य के लोगों को कम मौका मिलेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के अंक एवं शब्द समूह ''10(दस) वर्षों'' के स्थान पर अंक एवं शब्द समूह ''7(सात) वर्षों'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द ''अथवा'' के स्थान पर शब्द ''और'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि कुलपति के लिए निर्धारित योग्यता में और वृद्धि हो सके तथा उच्चतम कोटि के विद्वान व्यक्ति की ही अर्हतानुसार नियुक्ति हो सके जो अभी 10 साल में नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द ''अथवा'' के स्थान पर शब्द ''और'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-3 में 3 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की पहली पंक्ति के शब्द समूह ''का व्यापक प्रचार किया जाएगा'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी '' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने इसलिए यह प्रस्ताव दिया है ताकि सर्च कमिटी की सूचना का और भी व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की पहली पंक्ति के शब्द समूह ''का व्यापक प्रचार किया जाएगा'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी '' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे सर । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार'' के स्थान पर शब्द ''कुलाधिपति'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिए दिया है क्योंकि विश्वविद्यालय कुलाधिपति के अंतर्गत है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की तीसरी पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार'' के स्थान पर शब्द ''कुलाधिपति'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

टर्न-15/सुरज/28.03.2022

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण'' को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह संशोधन इसलिये दिया है क्योंकि सर्च कमिटी की अनुशंसा ही पर्याप्त है, उसमें राज्य सरकार के अग्रसारण की क्या आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 में प्रस्तावित संशोधन की चौथी पंक्ति के शब्द समूह ''तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण'' को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-4 में 3 संशोधन है । इसमें श्री ललित कुमार यादव, श्री सुधाकर सिंह द्वारा संशोधन दिया गया है । क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, आगे बढ़ाइये ।

(मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की अंतिम पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार'' के स्थान पर शब्द ''कुलाधिपति'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

महोदय, इसमें संशोधन पर कुलपति के स्थान पर राज्य सरकार किया जा रहा है इसी पर मुझे आपत्ति है । इस राज्य में दोहरी व्यवस्था जो चल रही है वह ठीक नहीं है । सभी विश्वविद्यालयों के नियंत्रक या तो राज्य सरकार रहे या कुलाधिपति सह राज्यपाल रहे । यह व्यवस्था लागू होनी चाहिये ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन की अंतिम पंक्ति के शब्द समूह ''राज्य सरकार'' के स्थान पर शब्द ''कुलाधिपति'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिये दिया है क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-4 में प्रस्तावित संशोधन को विलोपित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक की अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सदा अग्रणी रहा है । अविभाजित भारत में भी सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालयों में से एक की स्थापना वर्ष 1908 में सबौर में की गई थी । महोदय, यही एक महाविद्यालय इस राज्य में था फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 की सरकार आई तो विश्वविद्यालय की कल्पना साकार हुई और राज्य को एक कृषि विश्वविद्यालय मिला । महोदय, लगभग सौ वर्ष बाद और कृषि विश्वविद्यालय बिहार में हुआ और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हुई । इस विश्वविद्यालय ने बड़ा आकार ग्रहण किया और आज हमें बताते हुए हर्ष होता है कि उद्यान महाविद्यालय, नूरसराय, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, अगवानपर, सहरसा, वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय, डुमरांव, डॉ0 कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज, वाणिकी महाविद्यालय, मुंगेर, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना । महोदय, जो ये तीन महाविद्यालय हैं मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति कि इस कोविड काल में भी और सभी राज्यों की स्थिति जो थी सबको मालूम है, जो आर्थिक स्थिति हो गई थी । बिहार की भी वही दशा थी लेकिन साहस का कदम उठाया और तीन-तीन महाविद्यालय जो जरूरी थे इस विशविद्यालय के लिये कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सबौर, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, पटना । महोदय, एक साथ इन तीनों महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय और उसकी घोषणा 15 अगस्त के दिन गांधी मैदान में उन्होंने किया और यह भी बताते हुये हमे हर्ष हो रहा है कि इन महाविद्यालयों में पढ़ाई और सत्र भी प्रारंभ हो चुका है । महोदय, इतनी कम अवधि में और पूरी व्यवस्था के साथ इन महाविद्यालयों में पठन-पाठन और बाकी सब कुछ शुरू हो चुका है । महोदय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय वर्ष 2010 में स्थापना के बाद कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है । महोदय, इस विश्वविद्यालय के अधीन 132 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, 467 अनुसंधान परियोजनाओं पर काम चल रहा है । विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न फसलों के 29 नये प्रभेद विकसित किये गये हैं । इसमें सब प्रकार के फसल हैं धान है, गेहूं है, तीसी है, चना है, फूलगोभी है, बैंगन है, आम है, लीची है, बेल है, मखाना है, लहसून है आदि-आदि । महोदय, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा 49 नये कृषि तकनीक का विकास किया गया है, जैव उर्वरक का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन

शुरू हुआ है । बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न तकनीकों के तीन पेटेंट का दावा सक्षम प्राधिकार को सौंपा गया है । विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में बिहार के कृषि धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है । जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची का जी0आई0 पंजीकरण किया गया है । राज्य में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया है । महोदय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशासन के सर्वोच्च मानक को स्थापित करने के लिये बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के कतिपय धारा में संशोधन आवश्यक समझा गया है । इस संशोधन के माध्यम से निम्न प्रावधान किया जा रहा है ।

महोदय, 20(2) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति होंगे । वे कृषि विज्ञान के ख्याति प्राप्त विद्वान होंगे, उन्हें विश्वविद्यालय प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो अथवा जिनके पास किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासकीय संगठन में न्यूनतम 10 वर्षों का अकादमिक नेतृत्व प्रदर्शन का प्रमाण हो ।

महोदय, 20(3) सर्च कमिटी की सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा । जिस पर शंका व्यक्त किया है विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने और यह सभी कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थानों में की जायेगी । सर्च के पैनल का कमिटी चयन करेगी और तीन नामों के पैनल का सुझाव राज्य सरकार को देगी ।

...क्रमशः...

टर्न-16/राहुल/28.03.2022

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री (क्रमशः) : कुलाधिपति के द्वारा सर्च कमेटी की अनुशंसा तथा राज्य सरकार द्वारा अग्रसारण के आलोक में कुलपति की नियुक्ति की जाएगी । 20(5) कुलपति अपने पद पर आसीन होने की तारीख से 5 वर्षों तक अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पदधारण करेगा । प्रथम कुलपति के रिक्त 5 वर्ष के पूर्व होने पर 5 वर्ष की अवशेष अवधि के लिए पुनः राज्य सरकार कुलपति नियुक्त कर सकेगी । महोदय, यह कोई नया भी नहीं है । अन्य तकनीकी जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालयों में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं, यह उनका अधिनियम है तो उसी के अनुरूप बनाने का भी यह विचार सरकार ने किया है । इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं चूंकि

प्रस्तावित संशोधन बिहार कृषि विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है अतएव सदन इसे पारित करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

<u>बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ । प्रभारी मंत्री ।

<u>विचार का प्रस्ताव</u>

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार का विधेयक के सिद्धान्त पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अत: सिद्धान्त पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री राजेश कुमार : मूव करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 के सिद्धान्त पर विमर्श हो ।''

अध्यक्ष महोदय, मैं यह सिद्धान्त पर विमर्श इसलिए लाया हूं कि जी0एस0टी0 कानून वर्ष 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया है और इस विधेयक में कहा गया है कि अब इस विधेयक की आपूर्ति और खरीद पर कोई टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई है । चार साल के बाद इस विधेयक को लाने का क्या औचित्य है जबकि डॉ0 सी0 रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर चीनी क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया है । इसलिए राज्य में कार्यरत सभी चीनी मिल निजी क्षेत्र में स्थापित हैं, सरकारी क्षेत्र में कोई भी चीनी मिल स्थापित नहीं है । इसलिए सिद्धान्त पर विमर्श के बाद ही इस विधेयक को पारित कराया जाय ।

<u>संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है । क्या माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार : अध्यक्ष महोदय, मूव करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

महोदय, यह बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 राज्य के किसानों से संबंधित है और गन्ना खरीद से संबंधित है और व्यापारियों द्वारा भुगतान से संबंधित है । इसे व्यापक एवं पारदर्शी बनाने हेतु संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अन्दर दे ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक के मूल पाठ में संशोधन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-2 में 2 संशोधन हैं । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) एवं (ग) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है क्योंकि उपखंड (ख) एवं (ग) में पूर्व के मामले को चलाये जाने का प्रावधान किया गया है जबकि जी0एस0टी0 लागू होने के बाद इस तरह के सभी कर समाप्त हो गये हैं जब कर समाप्त हो गए हैं तो पूर्व के मामले को चलाये जाने का क्या औचित्य है जबकि यह दिनांक-01.07.2017 से लागू किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) एवं (ग) को विलोपित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) के मद (i) को विलोपित किया जाय ।''

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया है कि धारा 49 के विलोपन के प्रभाव का लाभ वैसे लोगों को भी प्राप्त हो सके जिसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई या उपाय शुरू किया गया है या वैसे त्रुटिपूर्ण है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इस विलोपन से पहले या बाद में यह विलोपन दिनांक-01.07.2017 से प्रभावी हो रहा है । ऐसी स्थिति में आज के बाद भी ऐसे मामले पर कार्रवाई होने से यह संशोधन अपना अर्थ खो देगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 के उपखंड (ख) के मद (i) को विलोपित किया जाय ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-1 में एक संशोधन है । इसमें श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा समान संशोधन दिया गया है । क्या माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री अजीत शर्मा : मूव करेंगे ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :

''यह दिनांक-01.07.2017 से प्रवृत होगा ।''

महोदय, मैंने सिर्फ इसलिए यह प्रस्ताव दिया है खंड-1 के उपखंड (3) में वर्णित है कि यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा इसके स्थान पर दिनांक-01.07.2017 से इसे प्रवृत किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-1 के उपखंड (3) को निम्न शब्द समूह से प्रतिस्थापित किया जाय :

''यह दिनांक-01.07.2017 से प्रवृत होगा ।''

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-17/मुकुल/28.03.2022

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

महोदय, भारत के संविधान के (एक सौ एक वॉ संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) लागू किया गया है उक्त संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची 2 - राज्य सूची की प्रविष्टि 52 को विलोपित कर दिया गया है, अर्थात् इस प्रविष्टि के अधीन अधिरोपित सभी कर समाप्त हो गये हैं ।

उक्त के आलोक में बिहार राज्य में गन्ना की आपूर्ति और खरीद पर कर लगाने से संबंधित अधिनियम यथा-बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम 37, 1982) यथासंशोधित की धारा 49 को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव है । यही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है एवं इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है ।

महोदय, जब जी0एस0टी0 लागू हो गया तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसे पारित किया जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हमेशा पक्ष में ही, विपक्ष में कुछ नहीं ।

अध्यक्ष : ललित जी, लोग पक्ष को ज्यादा चाहते हैं । आप भी चाहते हैं कि पक्ष के लोग रहें । सुदय जी, आप तो सोए हुये थे इसलिए ध्यान नहीं था ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक- 28 मार्च, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 52 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-29 मार्च, 2022 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।